मैनुअल संख्या– 17

अन्य उपयोगी जानकारियाँ

18.1:– लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर

क्र0सं0	प्रश्न	
1	कितने स्तर के विद्यालय हैं	राज्य में कई स्तर के विद्यालयों का संचालन किया जाता है। प्राथमिक,उच्च प्राथमिक हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट (राजकीय, अशासकीय, मान्यता प्राप्त, आवासीय)
2	विद्यालयों की संख्या (श्रेणीवार)कितनी है	प्राथमिक विद्यालय (राजकीय व मान्यता प्राप्त) 14924, उच्च प्राथमिक (राज0 व मान्यता प्राप्त) 4086, हाईस्कूल(राज0 व मान्यता प्राप्त) 1031, इण्टर कालेज(राज0 व मान्यता प्राप्त) 1232,
3	संस्थागत छात्रों की संख्या (श्रेणीवार) लगभग क्या है।	प्राथमिक एवं उ0प्राथमिक (6–14वय वर्ग) में 17 लाख, एवं हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट (कक्षा 9से12) 5 लाख (लगभग) छात्र/छात्रायें अध्ययनरत हैं।
4	अध्याकपकों कितने पद सृजित है।	राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक में अध्यापकों के लगभग 39,565 पद सृजित हैं तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालयो में प्रधानाचार्य सहित 23,573 पद सृजित हैं।
5	समग्र रुप से प्रदेश में विद्यालय, अध्यापक व छात्रों की संख्या क्या है।	प्रदेश में समग्र रुप से 21,273 विद्यालय, लगभग 63,000 अध्यापक एवं 22 लाख छात्र/छात्रायें अध्ययनरत हैं।
6	परिषदीय परीक्षा सम्मिलित छात्र अनुमानित संख्या	परिषदीय परीक्षा में बैठने वालों की संख्या लगभग 3 लाख
7	जनपदवार विद्यालयों की सूची	संलग्नक
8	क्या शिक्षकों को बदलते परिप्रेक्ष्य के अनुसार सेवारत अभिनवीकरण प्रशिक्षण दिया जाता है\ माड्यूल समय–समय पर निर्मित किया जाता है।	शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के सेवारत प्रशिक्षण दिये जाते हैं। संलग्नक

9	क्या माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा अर्न्तगत शिक्षक संगठनों को विभाग द्वारा विशेष सुविधा प्रदान की गई है।	संलग्नक
10	क्या सभी शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मियों को सेवानिवृत्त होने पर देयकों का समय से भुगतान की व्यवस्था है, क्या इसके लिए विभाग द्वारा इस दिशा में कोई अनुश्रवण प्रकोष्ठ/शिकायत प्रकोष्ठ/शिकायत निराकरण प्रकोष्ठ आदि का गठन किया है।	प्रत्येक पटल से संबंधित समस्या का निस्तारण सक्षम अधिकारी के स्तर से किया/कराया जाता है, शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना सहित शिकायत पेटिका की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
	क्या विद्यालय में पढ़ने वाले विकलांग बच्चों को भारत सरकार/राज्य सरकार से सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है\	कक्षा 1 से 8(6–18वय वर्ग) तक के बच्चों को रु0 1200 प्रतिवर्ष जनपद को उसकी शिक्षण व्यवस्था हेतु भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, उसे निःशुल्क सहायता/उपकरण उपलब्ध कराये जाते हैं घर आधारित शिक्षा की व्यवस्था की
		जाती है। माध्यमिक स्तर पर IEDC मानव संशाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बच्चों को लाभ प्राप्त कराने हेतु IEDC सेल की स्थापना राज्य स्तर पर की गई है।
11	क्या शिक्षकों अधिकारियों /कर्मियों को ऐसे अधिनियमों /आयोगों की जानकारी है, जो भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के संबंध में बनाये गये हैं, और वे प्रायः इस बारे में प्रश्न पूछते हैं–जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित/जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग/ महिला आयोग/विकलांगता का अधिनियम 1995, बाल अधिकार आदि	समय–समय पर सभी अधिनियमों की जानकारी देने हेतु शिक्षको/ अधिकारियों/कर्मियों को प्रशिक्षण–संवेदीकरण कराया जाता है। अधिनियम की प्रतिलिपियां जिला पुस्तकालयों, निदेशालय पुस्तकालय में उपलब्ध है।
12	विद्यालयी शिक्षा के अर्न्तगत कितने पुस्तकालयों का सुदृढ़ीकरण किया गया है, कितने छात्र/छात्रायें इनका उपयोग करते है? विद्यालयों पुस्तकालयाध्यक्ष के कितने पद है।।?	राज्य द्वारा उत्तरांचल लोक पुस्तकालय विधेयक पारित किया गया है। जिसके अनुसार विभाग में कार्यान्वयन होता है। संलग्नक

13	क्या भवन निर्माण, पुराने भवनों का निर्माण आदि हेतु अवमुक्त धनराशि के उपयोग के संबंध में अनुश्रवण की कोई व्यवस्था है\	ऐसे कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि व्यय हेतु जिस स्तर के अधिकारी के निर्वतन पर रखी गई है उन्हीं के द्वारा पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किया जाता है, इस हेतु तकनीकि सेल की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है।
14	क्या इण्टर कालेजों में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं हेतु विषय संयोजन संबंधी कोई जानकारी /परामर्श दिया जाता है, जो विभिन्न सेवा क्षेत्र चुनने में छात्रों के लिए सहायक होंगे। क्या विद्यालयों को भी इस प्रकार के निर्देश दिये गये हैं कि कुछ विषय संयोजन निर्धारित किये जांय।	परामर्श दिया जाना प्रस्तावित है, विद्यालय के प्रधानाचार्य भी विषय संयोजन तथा संबंधित सेवा क्षेत्रों की जानकारी दे सकेंगे ऐसी व्यवस्था की जा रही है।
1	राष्ट्रीय पर्वों को मनाये जाने के संबंध में छात्र/छात्राओं को इनकी पृष्ठभूमि की जानकारी दिये जाने के निर्देश कभी निदेशालय द्वारा विद्यालयों को दिये जाते है\	इस प्रकार की जानकारी दी जाती है।
15	पदोन्नति हेतु बरिष्ठता निर्धारित करने वाले प्रवर सहायक आदि को सेवा नियमावली, रोस्टर आदि की पूर्ण जानकारी है\	बरिष्ठता के निर्धारण की प्रक्रिया। संलग्नक ज्येष्ठता नियमावली
16	शिक्षा विभाग के कितने प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लंबित है? क्या न्यायालय भेजे जाने से पूर्व ऐसे प्रकरणों पर विशेष अहम परीक्षण किया जाता है?	
17	क्या राज्य स्तर पर विभिन्न क्रिया–कलापों पर जन सहभागिता आमंत्रित की जाती है? क्या राज्य स्तरीय संदर्भ समूह का गठन किया गया है।?	प्रत्येक विद्यालय स्तर पर VEC, SMC, PTA आदि में जन सहभागिता आमंत्रित की जाती है।

18.2:– सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में:–
जन–सामान्य तक सूचनाओं एवं अभिलेखों की पहुँच

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (परिशिष्ट–I)	प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिये लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापितकरने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, दिनांक 12 अक्टूबर 2005 से अस्त्तिव में है।
लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी (परिशिष्ट– II)	विभाग की समस्त प्रशासनिक इकाईयों में अधिनियम की धारा 5(1), की धारा 5(2) एवं धारा 19 (1) के अन्तर्गत क्रमशः लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों का नामांकन किया गया है।
सूचना हेतु प्राप्त अनुरोध पत्रों का पंजीकरण एवं निस्तारण	नागरिकों से प्राप्त सूचना के अनुरोधों का पंजीकरण यथास्थिति पार्श्वांकित शासनादेश में दिये गये किसी एक प्रारूप में किया जायेगा। सहायक लोक सूचना अधिकारी स्तर पर सूचना के अनुरोध को प्राप्त करने की स्थिति में, उसे लोक सूचना अधिकारी को शीघ्रातिशीघ्र परन्तु विलम्बतः 5 दिन के अंदर निर्धारित प्रारूप में अग्रेषित करेगा।
शासनादेश सं0 146 /सू0/XXXI(3)G–/2006 दिनांक 22 मार्च 2006 (परिशिष्ट–III)	अनुरोधकर्ता को सूचना का अनुरोध का प्राप्ति पत्र आवेदन शुल्क की रसीद सहित दिया जायेगा। यदि अनुरोधकर्ता गरीबी रेखा से निम्न आय वर्ग का हो तो उससे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा।

अधिनियम की धारा 6 के अधीन सूचना का अनुरोध प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी यथासम्भव शीघ्रता से, और किसी भी दशा में अनुरोध प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाये या तो सूचना उपलब्ध करायेगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा। यदि लोक सूचना अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिये अनुरोध पर विनिश्चिय करने में असफल रहता है तो, यह समझा जायेगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है।

सूचना का अधिकार (फीस एवं लागत का विनियमन) नियम, 2005

अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना मांगे जाने हेतु आवेदन पत्र के साथ देय फीस एवं अभिलेखों की छायाप्रतियां अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु पार्श्वांकित अधिसूचना के अनुसार शुल्क देय होगा।

अधिसूचना ए0–266/**XXIV**/205–9(31) दिनांक 13 अक्टूबर 2005 (परिशिष्ट–**IV**) एवं संशोधित अधिसूचना सं0 165/मू/**XXXI(**13**)G.** 2;2**)**/2006 दिनांक 31 मार्च, 2006
(परिशिष्ट–**V**)

यदि लोक सूचना अधिकारी के पास किसी ऐसी सूचना दिये जाने का अनुरोध प्राप्त होताहै जो तीसरे पक्षकार से सम्बन्धित है और तीसरे पक्षकार द्वारा उसे गोपनीय माना गया हैं, तो ऐसी दशा में लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से पांच दिनों के भीतर, ऐसे तीसरे पक्षकार को इस तथ्य की लिखित रूप से सूचना देगा और इस बारे में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिये या नहीं, लिखित रूप में या मौखिक रूप में निवेदन करने के लिये तीसरे पक्षकार को आमंत्रित करेगा एवं सूचना के प्रकटन के बारे में कोई निर्णय करते समय तीसरे पक्षकार के उत्तर को ध्यान में रखेगा पर व्यक्ति सूचना तीसरे पक्षकार को ऐसी सूचना के प्रस्तावित प्रकटन के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जायेगा। लोक सूचना अधिकारी द्वारा तीसरे पक्षकार से सम्बन्धित सूचना के अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात् 40 दिन के भीतर इस बारे में
निर्णय लिया जायेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किये जाये या नहीं और अपने निर्णय की

सूचना
लिखित में तीसरे पक्षकार को भी देगा। उसे निर्णय से असंतुष्ट होने पर विभागीय अपीलीय अधिकारी के यहां 30 दिन के अन्दर अपील करने का अधिकार है।

प्रथम अपील धारा 19 (1) अपील करने वाला व्यक्ति सूचना प्राप्ति के लिये निर्धारित समय सीमा की समाप्ति की तिथि से 30 दिनों के अंदर विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। सम्बन्धित अपीलीय अधिकारी को यदि यह विश्वास हो जाता है कि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से अपीलकर्ता अपनी अपील की याचिका निर्धारित समय में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो तो वह उक्त समय सीमा के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत यदि तीसरे पक्ष से सम्बन्धित सूचना अनुरोधकर्ता को देने के सम्बन्ध में निर्णय दिया गया है तो इस आदेश से प्रभावित तीसरा पक्ष, आदेश की तिथि से 30 दिनों के अंदर विभागीय अपीलीय अधिकारी के यहाँ अपील कर सकता है।

विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील का निस्तारण, याचिका की तिथि से 30 दिनों के अंदर किया जायेगा।

सूचना का स्वैच्छिक प्रकटन अधिनियम की धारा (1)(ख) के अधीन विभाग की सभी प्रशासनिक इकाईयाँ जो लोक प्राधिकारी घोषित हैं, के द्वारा 17 बिन्दुओं पर सूचनाये संकलित कर प्रत्येक बिन्दु पर मैनुअल बनाये जायेंगे। उक्त सभी मैनुअल पर सी0डी0 तैयार कर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को उपलब्ध कराई जायेगी। विभाग के प्रत्येक लोक प्राधिकारी स्तर पर उक्त मैनुअल की हार्ड प्रति एवं साफ्ट प्रति उपलब्ध रहेगी।

(उत्तरांचल सूचना आयोग परिपत्र सं065/उ0सू0आ0/मू0सू0आ0/2005 दिनांक 6 दिसम्बर, 2005) (परिशिष्ट–VI)

उक्त मैनुअल यथास्थिति प्रत्येक वर्ष के अन्त में अद्यावधिक किये जायेंगे तथा मैनुअल सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जन साधारण के अवलोकनार्थ बराबर उपलब्ध रहेंगे।

मासिक प्रगति प्रतिवेदन सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 25(3) के अधीन उपबन्ध (क) से (ड़) के सम्बन्ध में 5 बिन्दुओं पर विभाग की प्रत्येक लोक प्राधिकारी इकाई मासिक प्रगति प्रतिवेदन अपने उच्च लोक प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे।विभाग के निदेशालय स्तर से ऐसे प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन को संकलित कर उत्तरांचल सूचना आयोग को प्रत्येक माह दसवीं तारीख तक प्रेषित किया जाना होगा।

सूचना आयोग इन मासिक प्रगति प्रतिवेदन का उपयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने में करेगा।

सूचना पट्टों को प्रदर्शित करना जन सामान्य की सुविधा हेतु प्रत्येक लोक प्राधिकारी स्तर पर अपने कार्यालय के प्रमुख स्थान पर नामित लोक सूचना

अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के नाम पद नाम तथा दूरभाष नम्बर प्रदर्शित करते हुये सूचना पट्ट लगाये जायेंगे।

लोक प्राधिकारियों द्वारा आयोग स्तर से प्राप्त शिकायतों एवं अपीलों पर कार्यवाही आयोग में धारा 18 (1) के अधीन प्राप्त शिकायतों एवं धारा 19(3) के अन्तर्गत प्राप्त दूसरी अपील पर लोक प्राधिकारी को जारी नोटिस को प्रत्येक लोक प्राधिकारी स्तर पर एक पृथक पंजिका में दर्ज किया जायेगा। इस पंजिका में प्राप्त शिकायतों एवं अपीलों पर लोक प्राधिकारी स्तर पर समय–समय पर की गई कार्यवाही का दिनांक सहित अंकन किया जायेगा।

द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) अधिनियम की धारा 19(3 में राज्य सूचना आयोग को द्वितीय अपील दायर करने हेतु राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम 2005 का पालन किया जायेगा।

अधिसूचना सं0 305/**XXII**/2005–9 (33) 2005 दिनांक 13 दिसम्बर, 2005 (परिशिष्ट–**VII**)

18.3:– लोक प्राधिकरण द्वारा जनता को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में–

प्रशिक्षण का नाम व विवरण	
प्रशिक्षण कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की सीमा	
प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य	
लाभार्थी की पात्रता	
पूर्वपेक्षाएं (यदि हो तो)	
अनुदान सहायता (यदि हो तो)	
दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण(जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो)	
आवेदन करने के लिए कहां/किससे सम्पर्क करें	
आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)	
अन्य शुल्क (जहां उचित हो)	
आवेदन पत्र का प्रारूप(यदि आवेदन सादे कागज पर होता है कृप्या उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं आवेदन कर्ता आवेदन करते समय किन बातों का उल्लेख करें)	
संलग्नकों की सूची	
आवेदन की प्रक्रिया	
चयन प्रक्रिया	
प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय	

सारिणी(यदि हो तो)	
प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए लोक प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले कार्य	
विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभार्थियों की सूची तथा अन्य विवरण।	

उक्त बिन्दुओं पर सूचना एकत्र की जा रही है।

18.4:– लोक प्राधिकरण द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि के संबंध में जो मैनुअल–13 में 'ना' सम्मिलित हो

प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि का नाम व विवरण	
प्रमाण पात्र, अनापत्ति प्रमाण पात्र आदि प्राप्त करने हेतु पात्रता	
आवेदन करने के लिए कहाँ/किससे सम्पर्क करें	
आवेदन शुल्क(जहाँ उचित हो) अन्य शुल्क(जहाँ उचित हो)	
आवेदन शुल्क(जहाँ उचित हो) अन्य शुल्क(जहाँ उचित हो)	
आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें)	
संलग्नकों की सूची संलग्नकों का प्रारूप आवेदन करने की प्रक्रिया	
संलग्नकों की सूची संलग्नकों का प्रारूप आवेदन करने की प्रक्रिया	
संलग्नकों की सूची संलग्नकों का	

प्रारूप आवेदन करने की प्रक्रिया	
आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहां पर उस प्रक्रिया का विवरण दें जो आवेदक द्वारा सारी प्राथमिकताएं पूरी करने के पश्चात् लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती है)	
आवेदन की सारी प्राथमिकताएं सही तरह से पूरी करने के पश्चात प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, आदि जारी करने के लिए निर्धारित समय अवधि	
प्रमाण पत्र के प्रभावी रहने की समय सीमा (यदि हो तो) नवीनीकरण की प्रक्रिया (यदि हो	
प्रमाण पत्र के प्रभावी रहने की समय सीमा (यदि हो तो) नवीनीकरण की प्रक्रिया (यदि हो	

18.5:— लोक प्राधिकरण में होने वाले पंजीयन के संबंध में
<u>पंजीयन का उद्देश्य</u>

<u>आवेदक की पात्रता</u>

<u>पूर्वापेक्षाएँ (यदि हो तो)</u>

<u>आवेदन करने के लिए कहाँ/किससेसम्पर्क करें</u>

<u>आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)</u>

अन्य शुल्क (जहां उचित हो)

आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि

आवेदन सादे कागज पर होता

है तो कृपया उसका उल्लेख करते

हुए यह बताएं कि आवेदन कर्ता

आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करे)

संलग्नकों की सूची

आवेदन करने की प्रक्रिया

आवेदन करने के बाद लोक

प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया

(यहां पर उस प्रक्रिया का विवरण

दें जो आवेदक द्वारा सारी प्राथमिकताएं

पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण

द्वारा की जाती है)

प्रभावी रहने की समय सीमा (यदि हो तो)

18.6:– लोक प्राधिकरण (Municipal Corporation, Trade Tax, Entertainment Tax,आदि) द्वारा टैक्स लेने के सम्बन्ध में।

नोटः– विद्यालयी शिक्षा विभाग उक्त प्रकार के लोक प्राधिकरण के अन्तर्गत न होने के कारण सूचना उक्त बिन्दु पर शून्य है।

18.8:– लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दिये जाने वाली अन्य सेवाओं का विवरणः–

1. बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु नियम एवं दिशा–निर्देश।
2. विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु नियम एवं दिशा–निर्देश।
3. जनपदों में छात्र–मानकानुसार अध्यापकों के पदों के सृजन एवं रख–रखाव का अनुश्रवण
4. आवश्यकतानुसार अध्यापकों के नये पदों के सृजन ।
5. राज्य पुर्नगठन अधिनियम के अर्न्तगत पदों एवे कर्मियों के बंटवारे/स्थानान्तरण से सम्बन्धित कार्य।
6. बेसिक शिक्षा के राजकीय/एकीकरण से सम्बन्धित कार्य।
7. राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत अध्यापकों को सेवा विस्तारण की स्वीकृति से सम्बन्धित कार्य।
8. बेसिक शिक्षा के अध्यापकों/कर्मचारियों के संघों को मान्यता दिया जाना।
9. अध्यापकों के अर्न्तजनपदीय स्थानान्तरण।
10. प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू–अध्यापकों के पदों के सृजन आदि।
11. बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित अध्यापकों/कर्मचारियों के चिकित्सीय–व्यय **की प्रतिपूर्ति।**
11. बेसिक शिक्षा से अध्यापकों/कर्मचारियों को पासपोर्ट/विदेश–यात्रा की अनुमति प्रदान करने सम्बन्धी कार्य।
12. बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित अध्यापकों/कर्मचारियों की सेवा नियमावली एवं सेवा–शर्तो से सम्बन्धित कार्य।
13. खण्ड शिक्षा अधिकरियों के नियुक्ति, स्थानान्तरण एवं अन्य सेवा शर्तो से सम्बन्धित कार्य।
14. राजकीय आदर्श विद्यालयों से सम्बन्धित कार्य।
    - प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय(हाईस्कूल) एवं राजकीय इझटर कालेजों की स्थापना करना।
    - उक्त उल्लेखित विद्यालयों में नियमानुसार निर्धारित संवर्गों के शिक्षक, शिक्षिकाओं की भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, बरिष्ठता, स्थाानान्तरण, सेवा निवृत्ति, पेंशन आदि विषयों पर नीति निर्धारण कार्य प्रस्ताव तैयार करना एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराना।
    - सभी निर्धारित वय वर्गों के छात्र/छात्राओं के शिक्षण–प्रशिक्षण, शुल्क, परीक्षाओं एवं चहुंमुखी व्यक्तित्व के विकास हेतु समुचित अवसर प्रदान
    - समसामयिक आवश्यकताओं के प्रति पाठ्यक्रम संशोधन, छात्रवृत्तियां, कमप्यूटर शिक्षण एवं प्रशिक्षण, निःशुल्क पुस्तको का वितरण कराना इत्यादि सुनिश्चित कराना। • नियोजन, निर्माण, अर्थ/लेखा परीक्षण, सेवा संबंधी(बरिष्ठता सहित), विविध, लेखा स्थापना, बेसिक शिक्षा संबंधी, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के निगमन संबंधी, अकादमिक

अनुश्रवण संबंधी, क्रीड़ा संबंधी, वाद–विवाद संबंधी, सूचना के अधिकार संबंधी एवं विभागीय आंकड़े एवं सांख्यिकी संबंधी इत्यादि विषयों पर नीतिगत निर्णय हेतु शासन को प्रस्ताव, पूर्व शासनादेशों के अनुसार सभी स्तरों पर अनुपालन सुनिश्चित करना, समय–समय पर निरीक्षण, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं अकादमिक दौरों की कार्यवाही, समस्त विभागीय विषयों के कार्यान्वयन के संबंध में अन्यथा प्रभावितों की प्रस्तुत शिकायतों/प्रतयावेदनों को प्राप्त करते हुये निस्तारण सुनिश्चित कराना। (आवश्यकता प्रकट होने पर जाँच की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये सिद्ध दोषी/दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिकक कार्यवाही करना/कराना)। इत्यादि प्रकराणों पर सेवायें प्रदान करना।

भारत का राजपत्र
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 2 अनुभाग 1क
PART II Section IA
प्राधिकारण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)
नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2004 / 21 आश्विन, 1927 (शक)

दि स्पेशल ट्रिब्यूनल्स (सप्लीमेंटरी प्रोविजन्स) रिपील ऐक्ट, 2004, दि गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड दि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2005 और (3) दि राइट टू इनफार्मेशन ऐक्ट, 2005 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम 1963(1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उनके प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे :–

MINSTRY OF LAW AND JUSTIC
(LECISLATIVI DEPARTMENT)

New Delhi, October 13,2005/Asvina 21,1927 (Saka)

The traslation in Hindi of the Following namely:-(1) The Special Tribunals (Supplementary prvisions) Repeal Act, 2004; (2) The Government of union Territories and the Govermment of National Capital Territory of Delhi(Amendment) Act, 2005; and (3) The Right to Informatin Act, 2005 are hereby published under the authority of the president and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under claus(a) of sub-section (1) of the Official Languages Act, 1969(19 of 1963).

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 22)

(15 जून, 2005)

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकाररियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना का अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयेाग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे सम्बन्धित या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत के संविधान ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है।
और लोकतंत्र शिक्षिक नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की उपेक्षा करता है, जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी और संस्कारों तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है।

और वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटन से संभवतः अन्य लौक हितों, जिनके अंतर्गत सरकारें के दक्ष प्रचालन, समिति राज्य वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाये रखना भी है, के साथ विरोध हो सकता है।

और लोकतन्त्रात्मक आदर्श की प्रभुता को बनाऐ रखते हुए इन विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बनाना आवश्यक है।

अतः अब यह समीचीन है कि ऐसे नागरिकों को, कतिपय सूचना देने के लिए,जो उसे पाने के इच्छुक है, उपबंध किया जाय।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो :–

अध्याय
प्रारम्भिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) धारा 4 की उपधारा (1), धारा 5 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 12, धारा 13, धारा 15, धारा 16, धारा 24, धारा, 27 और धारा 28 के उपबंध तुरंत प्रभावी होंगे और इसे अधिनियम के शेष उपबंध इसके अधिनियम के एक सौ बीसवें दिन को प्रवृत्त होंगे।

2 इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''समुचित सरकार'' से किसी ऐसे लोक प्राधिकरण के संबंध में जो–

(i) केन्द्रीय सरकार या संध राज्यक्षेत्र द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है, केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है।

(ii) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन ,

नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है, राज्य सरकार अभिप्रेत है।

(ख) ''केन्द्रीय सूचना आयोग'' से धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्दीय सूचना आयोग अभिप्रेत है।

(ग) ''केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी'' से उपधारा (1) के अधीन गठित पदाभिहित केन्द्रीय सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा (2) के अधीन इस प्रकार पदाभिहित कोई केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है।

(घ) ''मुख्य सूचना आयुक्त'' और ''सूचना आयुक्त'' से धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्ति मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त अभिप्रेत है।

(ड़) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है–

(i) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा की या किसी ऐसे संघ राज्य की, जिसमें ऐसी सभा है, दशा में अध्यक्ष और राज्य सभा या किसी राज्य की विधान परिषद् की दशा में सभापति।

(ii) उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति ।

(iii) किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति ।

(iv) संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल।

(v) संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक।

(च) ''सूचना '' से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति परिपत्र, आदेश, लागबुक,संविदा, रिपोर्ट कागजपत्र, नमूने ,माडल, आंकडो संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुॅच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है।

(छ) ''विहित'' से, यथास्थिति, समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमेां द्वारा विहित अभिप्रेत है।

(ज) '' लोक प्राधिकारी '' से–

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन।

(ख) संसंद् द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा।

(ग) राज्य विधान–मंडल द्वारा बनाई गई अन्य विधि, द्वारा।

(ध) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा स्थापति या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है,

और इसके अन्तर्गत–

(i) कोई ऐसा निकाय है जो केन्दीय सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियेां द्वारा वित्तपोषित है।

(ii) कोई ऐसी गैर–सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार, द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है।

(झ) ''अभिलेख'' में निम्नलिखित सम्मिलित है–

(क) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाइल।

(ख) किसी दस्तावेज की कोई माइकोफिल्म, माइक्रोफिशे और प्रतिकृति प्रति।

(ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिम्बों का पुनरूत्पादन (चाहे वर्धित रूप में हो या न हो)

और।

(ध) किसी कम्पूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य समाग्री।

(झ) '' सूचना का अधिकार'' से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का , जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है–

(i) कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों, का निरीक्षण।

(ii) दस्तावेजों या अभिलेखों का निरीक्षण।

(iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना।

(iv) डिस्केट,पलापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक रीति में या प्रिंटआऊट के माध्यम से सूचना को , जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना।

(ट) ''राज्य सूचना आयोग'' से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है।

(ठ) ''राज्य मुख्य सूचना आयुक्त'' और राज्य सूचना आयुक्त से धारा 15 की उप धारा (3) के अधीन नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त अभिप्रेत है।

(ड) ''राज्य लोक सूचना अधिकारी'' से उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित राज्य लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उस रूप में पदाभिहित राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है।

(ढ) ''पर व्यक्ति'' से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी है।

अध्याय

सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं

3. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।

4. (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी–

(क) अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकावद्ध ऐसी रीति और रूप रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कप्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलभ्यता के अधीन रहते हुए, कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध हैं जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुॅच को सुकर बनाया जा सकें।

(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर–

(i) अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य ।

(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य।

(iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।

(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान।

(v) अपने द्वारा या अपने नियंत्राणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के
लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेखों।

(vi) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गये, नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।

(vii) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां , जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमा है।

(viii) ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण।

(ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके

अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हेा।

(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणेां पर रिपोर्टो की विशिष्टयां उपदर्शिका करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट।

(xii) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है।

(xiii) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां।

(xiv) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां।

(xvii) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाय।

प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा।

(ग) महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय या ऐसे विनिश्चयों की घोषणा करते समय, जो जनता को प्रभावित करते हों, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा।

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिककल्प विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध करायेगा।

(2) प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास हेागा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार, स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अन्तरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करें जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्ररूप और रीति में प्रसारित किया जाएगा, जो जनता के लिए सहज रूप से पहुंच योग्य हेा।

(4) सभी सामग्री को, लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में संसूचना की अत्यंत प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए, प्रसारित किया जाएगा तथा सूचना यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी के पास इलैक्ट्रानिक रूप में संभव सीमा तक निःशुल्क या माध्यम की ऐसी लागत पर या ऐसी मुद्रण लागत कीमत पर, जो विहित की जाए, सहज रूप से पहुंच योग्य होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण– उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए, ''प्रसारित'' से

सूचना पट्टों, समाचारपत्रों, लोक उदृघोषणाओं, मीडिया प्रसारणों इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से, जिसमें किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण सम्मिलित है, जनता को सूचना की जानकारी देना या संसूचित कराना अभिप्रेत है।

5. (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एककों या उसके अधीन कार्यालयों में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित,

करेगा। जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हो।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तर या अन्य उप जिला स्तर पर, यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए आवेदन या अपील प्राप्त करने और उसे तत्काल, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सचूना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग को भेजने के लिए पदाभिहित करेगा।

परन्तु यह कि जहां सूचना या अपील के लिए कोई आवेदन यथास्थिति, किसी केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, वहां धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में पांच दिन की अवधि जोड़ दी जायगी।

(3) यथास्थिति, प्रत्येक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्यवाही करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा।

(4) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझें।

(5) कोई अधिकार, जिसकी उपधारा (4) के अधीन सहायता चाही गई हैं, उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंधन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी समझा जाय।

6 (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है लिखित में या इलैक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या उस क्षेत्र की जिसमें आवेदन किया जा रहा है, राजभाषा में ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाय।

(क) संबधित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी।

(ख) यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, को उसके मांगी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा।

परन्तु जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है, यहां यथास्थिति केन्दीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्तियुक्त सहायता मौखिक रूप से देगा, जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके।

(2) सूचना के लिए अनुरोध करने आवेदन से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को, सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए के लिए आवश्वयक हो, देने की अपेक्षा नहीं की जायगी।

(3) जहां, कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है–

(i) जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है, या।

(ii) जिसकी विषय–वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से सम्बन्धित है।

वहां वह लोक प्राधिकारी जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समुचित हो, उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरिम करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरंत सूचना देगा।

परंतु यह कि इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवदेन का अंतरण यथासाध्य शीध्रता से किया जायगा। किंतु किसी भी दशा में आवदेन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनें के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

7 (1) धारा 5 की उपधारा (2) के परंतुक या धारा 6 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, यथासंभवशीध्रता से, और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर, जा` विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा, या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुराधे को अस्वीकार करेगा।

परंतु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां यह अनुराधे प्राप्त होने के अडतालीस धंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) यदि, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ठ अवधि के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर विनिश्चय करने में असफलत रहता है तो, यथास्थिति , केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है।

(3) जहां सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी और फीस के संदाय पर सचूना उपलब्ध कराने का विनिश्चत किया जाता है वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को–

(क) उसके द्वारा यथाअवधारित सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में और फीस के ब्यौरे जिनके साथ उपधारा (1) के अधीन विहित फीस के अनुसार रकम निकालने के लिए की गई संगणनाएं होंगी, देते हुए उससे उस फीस को जमा करने का अनुरोध करते हुए कोई संसूचना भेजेगा और उक्त संसूचना के प्रेषण और फीस के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को उस धारा में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि को संगणना करने के प्रयोजन करने के लिए अपवर्जित किया जायेगा।

(ख) प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराई गई पहुंच के प्ररूप के बारे में जिसके अंतर्गत अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां समय–सीमा प्रक्रिया और कोई अन्य प्ररूप भी है, विनिश्चय

करने का पनुर्विलोकन करने के संबंध में उसके अधिकार से संबंधित सूचना देते हुए कोई संसूचना भेजेगा।

(4) जहां इस अधिनियम के अधीन अभिलेख या उसके किसी भाग तक पहुंच अपेक्षित है और ऐसा व्यक्ति जिसको पहुंच उपलब्ध कराई जानी है संवेदनात्मक रूप से निःशक्त है वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा जिसमें निरीक्षण के लिए ऐसी सहायता कराना भी सम्मिलित है, जो समुचित हो।

(5) जहां सूचना तक पहुंच मुद्रित या किसी इलैक्ट्रानिक रूपविधान में उपलब्ध कराई जानी है वहां आवेदन उपधारा (6) के अधीन रहते हुए ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो विहित की जाय।

परन्तु धारा 6 की उपधारा (1) और धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन विहित फीस युक्तियुक्त होगी और ऐसे व्यक्तियों से जो गरीबी की रेखा के नीचे है, जैसा समुचित सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।

(6) उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई लोक प्राधिकारी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय–सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

(7) उपधारा (1) के अधीन कोई विनिश्चत करने से पूर्व यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 11 के अधीन पर व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन को ध्यान में रखेगा।

(8) जहां किसी अनुरोध की उपधारा (1) के अधीन अस्वीकृत किया गया है , वहां यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुराधे करने वाले व्यक्ति को,–

(i) ऐसी अस्वीकृत के लिए कारण।

(ii) वह अवधि जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृत के विरूद्ध कोई अपील की जा सकेगी और

(iii) अपील प्राधिकारी की विशिश्टियां संसूचित करेगा।

(9) किसी सूचना को साधारणतया उसी प्ररूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसे मांगा गयी है जब तक कि वह लोक प्राधिकारी क स्त्रोतों को अननुपाती रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो।

8 (1) इस अधिनियम में, अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी–

(क) सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा रणनीति वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उदीपन होता हो

(ख) सूचना, जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्ता रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है ।

(ग) सूचना , जिसके प्रकटन से संसद् या किसी राज्य के विधान–मण्डल के विषेषाधिकार का भंग कारित होगा।

(घ) सूचना जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है।

(ड़) किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है।

(च) किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना ।

(छ) सूचना जिसकी प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के श्रोतों की पहचान करेगा।

(झ) मंत्रिमण्डल के कागजपत्र, जिसमें मंत्रिपरिषद् सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित है।

परन्तु यह कि मंत्रिपरिषद् के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह समाग्री जिसके आधार पर विनिश्चत किए गए थे। विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराए जाएंगें।

परन्तु यह और कि वे विषय जो इस धारा में विनिर्दिष्ट छूटें के अंतर्गत आते है, प्रकट नहीं किए जांएगे।

(ञ) मंत्रिमण्डल के सूचना जो व्यक्तिगत सूचना के संबन्धित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यष्टि की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा। जब तक कि, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकरी का यह समाधान नहीं हो जाता है। कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है।

परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको यथास्थिति संसद् या किसी विधान–मण्डल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकता है।

(2) शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 में, उपधारा (1) के अनुसार अनुज्ञेय किसी छूट में किसी बात के होते हुए भी, किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुंच अनुज्ञात की जा सकेगी, यदि सूचना के प्रकटन में लोक हित, संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है।

(3)उपधारा (1) के खण्ड (क) खण्ड (ग) और खण्ड(झ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी धटना, वृत्तांत या विषय से संबधित कोई सूचना, जो उसे तारीख से जिसको धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है बीस वर्ष पूर्व धटित हुई थी या हुआ था उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जायगी।

परन्तु यह कि जहां उस तारीख के बारे मं, जिससे बीस वर्ष की उक्त अवधि को संगणित किया जाता है कोई प्रश्न उद्भूत होता है वहां इस अधिनियम में उसके लिए उपवाधित प्रायिक अपीली के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतरिम हेागा।

(9) धारा 8 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति कोई केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या कोई राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के किसी अनुरोध को वहां अस्वीकार कर सकेगा जहां पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अस्तित्वयुक्त प्रतिलिप्याधिकार का उल्धंधन अन्तर्वलित करेगा।

(10) (1) जहां सूचना तक पहुंच के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार कियाा जाता है कि वह ऐसी सूचना के संबंध मं है, जो प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है वहां इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी पहुंच अभिलेख के उस भाग तक उपलब्ध कराई जा सकेगी जिसमें कोई ऐसी सूचना अन्तर्विष्ट नहीं है जो इस अधिनियम के अधीन प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है और जो किसी ऐसे भाग से जिसमें छूट प्राप्त सूचना अन्तर्विष्ट है, युक्तियुक्त रूप से पृथक की जा सकती है।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन अभिलेख के किसी भाग तक पहुंच अनुदत्त की जाती है वहां यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी निम्नलिखित सूचना देते हुए आवेदक को एक सूचना देगा कि–

(क) अनुरोध किए गए अभिलेख का केवल एक भाग ही उस अभिलेख से उस सूचना को जो प्रकटन से छूट प्राप्त है पृथक करने के पश्चात् उपलब्ध कराया जा रहा है

(ख) विनिश्चय के लिए कारण जिनके अंतर्गत तथ्य के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर उस सामग्री के प्रति, जिस पर वे निष्कर्ष आधारित है पृथक करने के पश्चात् उपलब्ध कराया जा रहा है।

(ग) विनिश्चय करने वाले व्यक्ति का नाम पदनाम

(ध) उसके द्वारा संगणित फीस के ब्यौरे और फीस की वह रकम जिसकी आवदेक से निक्षेप करने की अपेक्षा की जाती है । और।

(ड़) सूचना के भाग को प्रकट न किए जाने के सम्बन्ध में विनिश्चय के पुनर्विलोकन के बारे में उसके अधिकार प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराया गया पहुंच का प्ररूप जिसके अन्तर्गत यथास्थिति धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की विशिर्ष्टियां समय–सीमा प्रक्रिया और कोई अन्य पहुंच का प्ररूप भी है।

(11) (1) जहां यथास्थिति किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा इसका प्रदाय किया गया है

और उस पर व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है वहां यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से पांच दिन के भीतर ऐसे पर व्यक्ति को अनुरोध की और इस तथ्य की लिखित रूप में सूचना देगा कि यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का उक्त सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है , और इस बारे में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं लिखित में या मौखिक रूप से निवदेन करने के लिए पर व्यक्ति को आमंत्रित करेगा तथा सूचना के

प्रकटन के बारे में कोई विनिश्चय करते समय पर व्यक्ति के ऐसे निवदेन को ध्यान में रखा जाएगा।

परन्तु विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातों की दशा में के सिवाय यदि ऐसे प्रकटन में लोकहित, ऐसे पर व्यक्ति के हितों की किसी संभावित अपहानि या क्षति से अधिक महत्वपूर्ण है तो प्रकटन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति पर किसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग के बारे में किसी सूचना की तामील की जाती है वहां ऐसे पर व्यक्ति को ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर प्रस्तावित प्रकटन के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जायेगा।

(3) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात चालीस दिन के भीतर यदि पर व्यक्ति को उपधारा (2) के अधीन अभ्यावदेन करने का अवसर दे दिया गया है तो इस बारे में विनिश्चय करेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किया जाए या नहीं और अपने विनिश्चय की सूचना लिखित में पर व्यक्ति को देगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन दी गई सूचना में यह कथन भी सम्मिलित होगा कि वह पर व्यक्ति जिसे सूचना दी गई है धारा 19 के अधीन उक्त विनिश्चय के विरूद्ध अपील करने का हकदार है।

अध्याय 3
केन्द्रीय सूचना आयोग

12 (1) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी। जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं।

(2) केन्द्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा।

(क) केन्द्रीय सूचना आयुक्त और।

(ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में केन्द्रीय सूचना आयुक्त जितने आवश्यक समझे जाएं।

(3) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जायगीं।

(i) प्रधानमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा।

(ii) लोक सभा में विपक्ष का नेता और।

(iii) प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट संध मंत्रिमण्डल का एक मंत्री।

स्पष्टीकरण– शंकाओं के निवारण के लिए यह धोषित किया जाता है कि जहा लोक सभा में विपक्ष के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है वहां लोक सभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्ष का नेता समझा जाएगा।

(4) केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्यो का साधारण अधीक्षण निदेशन और प्रबंधन मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य और बाते कर सकेगा जिनका केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वंतंत्र रूप से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अधीन रहे बिना प्रयोग किया जा सकता है या जो की जा सकती है।

(5) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिक समाज सेवा, प्रबंध पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।

(6) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त यथास्थिति संसद का सदस्य या किसी राज्य या संध राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारित नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल के संबद्ध नहीं होगा अथवा कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा।

(7) केन्द्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय, दिल्ली में होगा और केन्द्रीय सूचना आयेाग,केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

13 (1) सूचना आयुक्त उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्वियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह कि कोई मुख्य सूचना आयुक्त पैसंठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(2) प्रत्येक सूचना आयुक्त उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पाच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पूर्वतर हो पद धारण करेगा और ऐसे सचूना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु प्रत्येक सूचना आयुक्त इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर धारा 12 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

परन्तु यह और कि जहां सूचना आयुक्त को मुख्या सूचना आयुक्त के यप में नियुक्ति किया जाता है वहां उसकी पदावधि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) मुख सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसुची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररूप के अनुसार एक शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उसे पर हस्ताक्षर करेगा।

(4) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

परन्तु मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को धारा 14 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा।

(5) संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते–

(क) मुख्य सूचना आयुक्त की वही होगी, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की है।

(ख) सूचना आयुक्त की वही होगी जो निर्वाचन आयुक्त की है।

परन्तु यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त या सचूना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन मेंसे, उस पेंशन की, जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा कोई भाग, जिसे संशशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोडकर सेवानिवृत्ति फायदों के अन्य रूपों के समतुल्य पेशन भी है, रकम को कम कर दिया जाएगा।

परन्तु यह और कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है तो

मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संवंध में उसके वेतन में से, सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जायगी।

परन्तु यह भी कि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के वेतन भत्तों और सेवा की अन्य शर्तो में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके अलाभकर रूप में कोई परिवर्तन नही किय जाएगा।

(6) केन्द्रीय सरकार मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्तों का उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्ते ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

14 (1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए मुख्य सूचना आयुक्त का किसी सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगां। जब उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात यह रिपोर्ट दी हो कि यथास्थिति मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए।

(2) राष्ट्रपति उस मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को, जिसके विरूद्ध उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश पारित किए जाने तक पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो, जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से भी प्रतिषिद्ध कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा, यदि यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त–

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है, या।

(ख) वह ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें राष्ट्रपति की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्वलित है।

या

(ग) अपनी पदावधि के दौरान, अपने पद कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है।

या

(घ) राष्ट्रपति की राय में, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है ; या

(ड) उसने ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित किए हैं, जिसे मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त के रुप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(4) यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, किसी प्रकार भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध या उसमें हितबद्ध है या किसी

निगमित कंपनी के किसी सदस्य के रुप में से अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उससे प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है ता वह, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

अध्याय 4
राज्य सूचना आयोग

15. (1) प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ..... (राज्य का नाम) सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं।
(2) राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा –
(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ; और
(ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में राज्य सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं।
(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी किसी समिति की सिफारिश पर की जाएगी,–
(प) मुख्यमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा ;
(प) विधान सभा में विपक्ष का नेता ; और
(पपप) मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला मंत्रिमंडल का सदस्य ।
स्पष्टीकरण–शंकाओं को दूर करने के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां विधान सभा में विपक्षी दल के नेता को उस रुप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां विधान सभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बडे समूह के नेते को विपक्षी दल का नेता समझाा जाएगा।
(4) राज्य सूचना आयोग के कार्यो का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंध राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता की जाएगी और सह सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो राज्य सूचना
आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधी किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अध्यधीन रहे बिना स्वतंत्र रुप से प्रयोग की जा सकती हैं या की जा सकती है।
(5) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।
(6) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान–मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का

पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा या कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नही करेगा।

16. (1) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु कोई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रुप में पद धारण नही करेगा।

(2) परन्तु प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त, इस तारीख से, जिसको वइ अपना पद ग्रण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी वूर्वतर हो, पद धारण करेगा और राज्य सूचना आयुक्त के रुप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर धारा 15 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रुप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु यह और कि जहां राज्य सूचना आयुक्त की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रुप में नियुक्ति की जाती है, वहां उसकी पदावधि राज्य, सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रुप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररुप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

(4) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा :

परन्तु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को धारा 17 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा ।

(5) संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते–

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जे किसी निर्वाचन आयुक्त की हैं ;

(ख) राज्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव की हैं :

परन्तु यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्नद्व प्राप्त कर रहा है तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रुप में सेवा के संबंद्ध में उसके वेतन में से उस पेंशन की रकम को, जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा भाग जिसे संराशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जाएगाः

परन्तु यह और कि जहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या केन्द्रीय सरकार या राजय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणााधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा

है वहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सुचना आयुक्त के रुप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी :

परन्तु यह और कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के प्श्चात् उनके लिए अलाभकारी रुप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(6) राज्य सरकार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मयानी उपलब्ध कराएगी जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए

नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

17. (1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को राजपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा, जब उच्चतम न्यायालय ने, राज्यपाल द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के प्श्चात् यह रिपोर्ट दी हो कि, यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए।

(2) राज्यपाल, उस राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त को, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्यपाल द्वारा आदेश पारित किए जाने तक, पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो ऐसी जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से प्रतिषिद्ध भी कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी आत के होते हुए भी राज्यपाल, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को, आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा, यदि, यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त–

(क) दियालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) वह ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें राज्यपाल की राय में नैतिक अधमता अंतवर्लित है ; या

(ग) वह अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है ; या

(घ) राज्यपाल की राय में, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है ; या

(ड) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रुप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना है।

(4) यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त किसी प्रकार, राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य को किसी रुप में से अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उससे प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

अध्याय 5
सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य, अपील तथा शक्तियां

18. (1) इस अधिनियम के अपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति,, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे –

(क) जो, यथास्थिति, किसी कंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है कि इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है या, यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपील के लिए धारा 19 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अथवा ज्येष्ठ अधिकारी या, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उसके आवेदन को भेजने कि लिए स्वीकार करने से इंकार कर दिया है ;

(ख) जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई कोई जानकारी तक पहुंच के लिए इंकार कर दिया गया है ;

(ग) जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है ;

(घ) जिससे ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई है, जो वह अनुचित समझता है ;

(ड) जो यह विश्वास करता है कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण, भम्र में डालने वाली या मिथया सूचना दी गई है ;

(च) इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या इन तक पहुंच प्राप्त करने से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में।

(2) जहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह समाधान हो जाता है कि उस विषय में जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं, वहां वह उसके संबंध में जांच आरंभ कर सकेगा।

(3) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य आयोग को, इस धारा के अधीन किसी मामले में जांच करते सकय वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो निम्नलिक्षित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात :–

(क) किन्हीं व्यक्तियों का समन करना और उन्हें उपस्थित कराना तथा शपथ पर मौखिक या लिखित साख्य देने के लिए और दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना ;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य को अभिग्रहण करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय के किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मंगाना ;
(ड) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना ; और
(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

(4) यथास्थिति, संसद् या राज्य विधान–मंडल के किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत की जांच करने के दौरान, ऐसे किसी अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा, जिसे यह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है और उसके द्वारा ऐसे किसी अभिलेख को किन्हीं भी आधारों पर रोका नहीं जाएगा।

19. (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे धारा 7 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है या जो, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति का है :
परन्तु ऐसा अधिकारी, तीस दिन की अवधि की समप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

(2) जहां अपील धारा 11 के अधीन, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति की सूचना प्रकट करने के लिए किए गए किसी आदेश के विरुद्ध की जाती है वहां संबंधित पर व्यक्ति द्वारा अपील, उव आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर की जाएगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन विनिश्चय के विरुद्ध दूसरी अपील उस तारीख से, जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था या वास्तव मे प्राप्त किया गया था, नब्बे दिन के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को होगी :

परन्तु, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका सह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।
(4) यदि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का विनिश्चय, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पर व्यक्ति की सूचना से संबंधित है तो यथास्थिति केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग उस पर व्यक्ति को सुनवाई का सुक्तियुक्त अवसर देगा।

(5) अपील संबंधी किन्हीं कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था, यथास्थिति, केन्द्रिय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर, जिसने अनुरोध से इंकार किया था, होगा।
(6) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी अपील का निपटारा, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अपील की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर

जो उसके फाइल किए जाने की तारीख से कुल पैंतालिस दिन से अधिक न हो, किया जाएगा।

(7) यथास्थिति, केन्द्रिय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय आबद्धकर होगा।

(8) आपने विनिश्चय में, यथासिथति, केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित की शक्ति है–

(क) लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना, जो इस अधिनियम के उपबंधों ा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं :–

(i) सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, यदि विशिष्ट प्ररुप में ऐसा अनुरोध किया गया है ;

(ii) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करना ;

(iii) कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करना ;

(iv) अभिलोखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनाश से संबंधित अपना पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना ;

(v) अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना ;

(ख) लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्त्ता को उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने की अपेक्षा करना ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करना ;

(घ) आवेदन को नामंजूर करना ;

(9) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग शिकायतकर्त्ता और लोक प्राध्किारी को, अपने विनिश्चय की, जिसके अंतर्गत अपील का कोई अधिकार भी है, सूचना देगा।

(10) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, अपील का विनिश्चय ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगा, जो विहित की जाए।

20.1 (1) जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना अयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिए, कोई आवेदन प्राप्त करने से इकार किया है या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली

है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रुपए की शास्ति अधिरोपित करेगा, तथापि ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रुपए से अधिक नही होगी।

परंतु, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, उस पर कोई शास्ति अधिरोपित किए जाने के पूर्व, सुनवाई का युक्तियुक्त रुप से और तत्परतापूर्वक कार्य किया है, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा।

(2) जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केंद्रीय सूचना अयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना और लगातार सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या उसने धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध के इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है वहां वह? यथास्थिति, ऐसे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध एसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा।

अध्याय–6
प्रकीर्ण

21. कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आश्ययित है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।

22. इस अधिनियम के उपबंध, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

23. कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा और ऐसे किसी आदेशा को, इस अधिनियम के अधीन किसी अपील के रुप में के सिवाए किसी रुप में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

24. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठनों को, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को दी गई किसी सूचना को लागू नहीं होगी ;

परन्तु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों के संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी ;

परन्तु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानवाधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना केन्द्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर दी जाएगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में किसी अधिसूचना द्वारा, अनुसूची का उस सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य आसूचना या सुरक्षा संगठन को उसमें सम्मिलित करके या उसमें पहले से विनिर्दिष्ट किसी संगठन का उससे लोप करके, संशोधन कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसे संगठन को अनुसूची में, यथास्थिति, सम्मिलित किया गया या उसका उससे लोप किया गया समझा जाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

(4) इस अधिनियम की कोई बात ऐसे आसूचना और सुरक्षा संगठनों को लागू नहीं होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसे संगठन हैं, जिन्हें वह सरकार समय–समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ;

परन्तु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी ;

परन्तु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानव अधिकारों के अतिक्रमण अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना राज्य सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के हेते हुए भी, ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर दी जाएगी।

25. (1) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात्, यथासाध्यशीघ्रता से उसे वर्ष के दौरान इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति समुचित सरकार को भेजेगा।

(2) प्रत्येक मंत्रालय या विभाग, अपनी अधिकारिता के भीतर लोक प्रधिकारियों के संबंध में, ऐसी सूचना एकत्रित करेगा और उसे, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध कराएगा जो इस धारा के अधीन रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित है और इस धारा के प्रयोजनों के लिए इस सूचना को देने तथा अभिलेख रखने से एंबंधित अपेक्षाओं का पालन करेगा।

(3) प्रत्येक रिपोर्ट में, उस वर्ष के संबंध में, जिससे रिपोर्ट एंबंधित है निम्नलिखित के बारे में कथन होगा–

(क) प्रत्येक लोक प्राधिकारी ऐ किए गए अनुरोधों की संख्या ;

(ख) ऐसे विनिश्चयों की संख्या, जहां आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुंच के लिए हकदार नहीं थे, इस अधिनियम के वे उपबंध, जिनके अधीन ये विनिश्चय किए गए थे और ऐसे समयों की संख्या, जब ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया था ;

(ग) पुनर्विलोकन के लिए यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निर्दिष्ट की गई अपीलों की संख्या, अपीलों की प्रकृति और अपीलों के निष्कर्ष ;

(घ) इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई की विशिष्टियां ;

(ड़) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गई प्रभारों की रकम ;

(च) कोई ऐसे तथ्य, जो इस अधिनियम की भावना और आशय को प्रशासित और कार्यन्वित करने के लिए लोक प्राधिकारियों के किसी प्रयास को उपदर्शित करते हैं ;

(छ) सुधार के लिए सिफारिशें, जिनके अंतर्गत इस अधिनियम या अन्य विधान या सामान्य विधि के विधि के विकास, समुन्नति, आधुनिकीकरण, सुधार या सुंशोधन के लिए विशिष्ट लोक प्राधिकारियों के संबंध में सिफारिशें या सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने से सुसंगत कोई अन्य विषय भी है।

(4) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात्, यथासाध्यशीघ्रता से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां राज्य विधान–मुडल के दो सदन हैं वहां प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान–मंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखवाएगी।

(5) यदि केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने के संबंध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुरुप नहीं है तो वह प्राधिकारी को ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करते हुए, जो उसकी राय में ऐसी अनुरुपता को बढ़ाने के लिए किए जाने चाहिएं, सिफारिश कर सकेगा।

26. (1) केन्द्रीय सरकार, वित्तीय ओ अन्य संसाधनों की उपलब्धता की सीमा तक–

(क) जनता की, विशेष रुप से अपेक्षित समुदायों की इस बारे में समझ की, वृद्धि करने के लिए कि इस अधिनियम के अधीन अनुध्यात अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाए शैक्षिक कार्यक्रम बना सकेगी और आयोजित कर सकेगी ;

(ख) लोक प्राधिकारियों को, खंड (क) में निर्दिष्ट कार्यक्रमों को बनाने और उनके आयोजन में भाग लेने और ऐसे कार्यक्रमों का स्वयं जिम्मा लेने कि लिए प्रोत्साहित कर सकेगी ;

(ग) लोक प्राधिकारियों द्वारा उनके क्रियाकलापों के बाने में सही जानकारी का समय से और प्रभावी रुप में प्रसारित किए जाने को बढ़ावा दे सकेगी ;

(घ) लोक प्राधिकरणों के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित कर सकेगी और लोक प्राधिकरणों द्वारा स्वग्र के उपयोग के लिए सुसंगत प्रशिक्षण सामग्रियों का उत्पादन कर सकेगी।

(2) समुचित सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ से अठारह मास के भीतर, अपनी राजभाषा में, सहज व्यापक रुप और रीति से ऐसी सूचना वाली एक मार्गदर्शिका संकलित करेगी, जिसकी ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा युक्तियुक्त रुप में अपेक्षा की जाए, जो अधिनियम विनिर्दिष्ट किसी अधिकार का प्रयोग करना चाहता है।

(3) समुचित सरकार, यदि अपवश्यक हो तो, उपधारा (2) में निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों को नियमित अंतरालों पर अद्यतन और प्रकाशित करेगी, जिनमें विशिष्टतया और उपधारा (2) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सम्मिलित होगा–

(क) इस अधिनियम के उद्देश्य ;

(ख) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का डाक और गली का पता, फोन नंबर और यदि उपलब्ध हो तो उसका इलैक्ट्रानिक डाक पता ;

(ग) वह रीति और प्रारुप, जिसमें, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से किसी सूचना तक पहुंच का अनुरोध किया जाएगा ;

(घ) इस अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से उपलब्ध सहायता और उसके कर्तव्य
;

(ड) यथास्थिति,केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग से उपलब्ध सहायता ;

(च) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किसी अधिकार या कर्तव्य के संबंध में कोई कार्य करने या करने में असफल रहने के बाने में विधि में उपलब्ध सभी उपचार, जिनके अंतर्गत आयोग को अपील फाइल करने की रीति भी है ;

(छ) धारा 4 के अनुसार अभिलेखों के प्रवर्गों के स्वैच्छिक प्रकटन के लिए उपबंध; करने वाले उपबंध ;

(ज) किसी सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोधों के संबंध में संदत्त की जाने वाली फीसों से संबंधित सूचनाएं ; और

(झ) इस अधिनियम के अनुसार किसी सूचना तक पहुंच प्राप्त करने के एंबंध में बनाए गए या जारी किए गए कोई अतिरिक्त विनियम या परिपत्र ।

(4) समुचित सरकार को, यदि आवश्यक हो, नियमित अंतरालों पर मार्गदर्शी सिद्धांतों को अद्यतन और प्रकाशित करना चाहिए।

27. (1) समुचित करकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात :–

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य ;

(ख) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस ;

(ग) धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन संदेय फीस ;

(घ) धारा 13 की उपधारा (6) और धारा 16 की उपधारा(6) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्ते ;

(ड) धारा 19 की उपधारा (10) के अधीन अपीलों क विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ;

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए।

28. (1) सक्षम प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिक्षित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात :–

(i) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य ;

(ii) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस ;

(iii) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस ; और

(iv) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए।

29. (1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के समक्ष, जब एह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम तत्पश्चात्, यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रुप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा 1 तथापि उस नियम के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम अधिसूचित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान–मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

31. सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम, 2002 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

पहली अनुसूची
(धारा 13 (3) और धारा 16 (3) देखिए)
मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप

''मैं, जो.....मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हुँ के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अंक्षण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियो की मर्यादा बनाए रखूंगा।''

दूसरी अनुसूची
(धारा 24 देखिए)
केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठन

1. आसूचना ब्यूरो।
2. मंत्रिमंडल सचिवालय के अनुसंसाधन और विश्लेषण खंड।
3. राजस्व आसूचना निदेशालय।
4. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना व्यूरो।
5. प्रवर्तन निदेशालय।
6. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो।
7. वैमानिक अनुसंधान केन्द्र।
8. विशेष सीमान्त बल।
9. सीमा सुरक्षा बल।
10. केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल।
11. भारत तिब्बत सीमा बल।
12. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल।
13. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड।
14. असम राइफल्स।
15. विशेष सेवा ब्यूरो।
16. विश्ेष शाखा (सी0आई0डी0) अंदमान और निकोबार।
17. अपराध शाखा–सीआईडी–सीबी, दादरा और नागर हवेली।
18. विशेष शाखा, लक्षदीप पुलिस।

टी0के0 विश्वनाथन,
सचिव, भारत सरकार।

सीधी भर्ती हेतु आरक्षण रोस्टर

संख्या : 1154 / कार्मिक–2–2001

प्रेषक,

राकेश शर्मा

सचिव,

1– समस्त प्रमुख
सचिव / सचिव / अपर सचिव
2– समस्त
विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष
उत्तरांचल शासन।
3– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

कार्मिक विभाग–2 देहरादून : दिनांक : 31 अगस्त, 2001 **विषयः सीधी भर्ती में आरक्षण नीति को लागू करने हेतु रोस्टर।**

महोदय,

उत्तरांचल में आरक्षण के क्रम नीति लागू करने विषयक शासनादेश संख्या : 1144 / कार्मिक–2 / 2201–53(1) दिनांक 18 जुलाई, 2001 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश्रूा हुआ है कि सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति के लिए 19 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिए 04 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्ग हेतु 14 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य किया गया है।

2– उपरोक्त आरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु सीधी भर्ती में रोस्टर निम्नवत् तैयार किया गया है–

1–अनुसूचित जाति, 2–अनारक्षित, 3– अनारक्षित, 4– अनारक्षित, 5– अनारक्षित, 6–अनुसूचित जाति, 7– अनारक्षित, 8– अनारक्षित, 9– अनारक्षित, 10– अनारक्षित, 11–अनुसूचित जाति, 12– अनारक्षित, 13– अनारक्षित, 14– अनारक्षित, 15– अनारक्षित, 16–अनुसूचित जाति, 17– अनारक्षित, 18– अनारक्षित, 19– अनारक्षित, 20– अनारक्षित, 21–अनुसूचित जाति, 22– अनारक्षित, 23– अनारक्षित, 24–अनुसूचित जनजाति, 25– अनारक्षित, 26– अनुसूचित जाति, 27– अनारक्षित, 28– अनारक्षित, 29– अनारक्षित, 30– अनारक्षित, 31– अनुसूचित जाति, 32– अनारक्षित, 33– अनारक्षित, 34– अनारक्षित, 35– अनारक्षित, 36– अनुसूचित जाति, 37– अनारक्षित, 38– अनारक्षित, 39– अनारक्षित, 40– अनारक्षित, 41– अनुसूचित जाति, 42– अनारक्षित, 43– अनारक्षित,44– अनारक्षित, 45– अनारक्षित, 46– अनूसूचित जाति, 47– अनारक्षित, 48 अनुसूचित जनजाति, 49– अनारक्षित, 50– अनारक्षित, 51 अनुसूचित जाति, 52– अनारक्षित, 53– अनारक्षित, 54– अनारक्षित, 55– अनारक्षित, 56– अनुसूचित जाति, 57– अनारक्षित, 58– अनारक्षित,59– अनारक्षित, 60– अनारक्षित, 61– अनुसूचित जाति, 62– अनारक्षित, 63– अनारक्षित, 64– अनारक्षित, 65– अनारक्षित, 66– अनुसूचित जाति, 67– अनारक्षित, 68– अनारक्षित, 69– अनारक्षित, 71– अनारक्षित, 71–अनुसूचित जाति, 72– अनुसूचित जनजाति, 73– अनारक्षित, 74– अनारक्षित, 75– अनारक्षित, 76– अनुसूचित जाति, 77– अनारक्षित, 78– अनारक्षित, 79– अनारक्षित, 80– अनारक्षित, 81– अनुसूचित जाति, 82– अनारक्षित, 83– अनारक्षित, 84– अनारक्षित, 85– अनारक्षित, 86– अनुसूचित जाति, 87– अनारक्षित, 88– अनारक्षित, 89– अनारक्षित, 90– अनारक्षित,

91 अनुसूचित जाति, 92– अनारक्षित, 93– अनारक्षित, 94– अनारक्षित, 95– अनारक्षित, 96– अनुसूचित जनजाति, 97– अनारक्षित, 98– अन्य पिछड़ा वर्ग, 99– अनारक्षित, 100– अनारक्षित।

3– अनुरोध है कि सीधी भर्ती के मामले में उपरोक्त रोस्टर को अनवरत रुप से लागू किया गया है।

प्रेषक,

जगजीत सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन, एवं
सदस्य सचिव,
राज्य परामर्शीय समिति,
उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल।

सेवा में,

1 समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2, समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

उ0प्र0 पुर्नगठन समन्वय अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 6 सितम्बर, 06

विषयः भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल राज्य के मध्य
अन्तिम रुप से आवंटित कार्मिकों के पारस्परिक स्थानान्तरण की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र सु0 14/279/2202–एस0आर0(एस0) दिनांक 15 सितम्बर, 2004 तथा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय अनुभाग–1 के पत्र सु0 जी. आई–73/28–1–2005 दिनांक 14 जून, 2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम–2000 की धारा–73 के अन्तर्गत राज्य सेवाओं के कार्मिकों (अखिल भारतीय सेवाओं को छोड़कर) का उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल राज्य के मध्य भारत सरकार द्वारा आवंटन किया जाता है। पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश के अधिकांश कार्मिकों का अन्तिम आवंटर कार्य पूरा हो चुका है तथा भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा–73(2) के अन्तर्गत अन्तिम आदेश जारी किए जा चुके हैं। तत्पश्चात् भारत सरकार को दोनों राज्यों में पदस्थ कार्मिकों से इस आशय के प्रत्यावेदन प्राप्त होने लगे कि वे पारिवारिक कारणों से पारस्परिक स्थानान्तरण चाहते हैं। भारत सरकार द्वारा उनकी कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 15–09–2004 को इस आशय के दिशा–निर्देश जारी किए गए कि दोनों राज्य सरकारें पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु नीति बनाकर ऐसा कर सकती है। भारत सरकार के निर्देशानुसार उत्तरांचल राज्य की सहमति से पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु निम्नलिखित नीति विषयक व्यवस्था की जाती है–

क – पात्रता

(1) राज्य स्तरीय संवर्गो के ऐसा शासकीय सेवक जिन्हें उत्तवर्ती उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल राज्य अन्तिम रुप से आवंटित हुआ हो वे उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल के अन्तिम आवंटन के समय अर्थात नियत तिथि 09–11–2000 को शासकीय सेवक जिस पद पर थे उसी विभाग/विभागाध्यक्ष के उसी सेवा के पद/संवर्ग के उसी वेतनमान एवं समकक्ष कार्य प्रकृति के पद पर कार्यरत शासकीय सेवक से आपसी स्थानान्तरण करने के पात्र होंगे–

(2) भारत सरकार द्वारा जिन शासकीय सेवकों को पारस्परिक स्थानान्तरण के ..... आवंटर उत्तरवर्ती राज्य किया गया है ऐसे शासकीय सेवक दोबारा पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए पात्र नहीं होंगे अर्थात किसी शासकीय सेवक को पारस्परिक स्थानान्तरण की सुविधा केवल एक बार अनुमन्य होगी।

(3) ऐसे शासकीय सेवक जिनकी सेवानिव्त्ति में इस निर्देश के प्रसारित होने के दिनांक से एक वर्ष से कम का समय शेष रह गया हो उन्हें पारस्परिक स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी।

(4) अधिसंख्य पदों (Supernumcrary Posts) पर कार्यरत शासकीय सेवक को पारस्परिक स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी।

(5) ऐसे शासकीय सेवक जिनके विरूद्ध विभागीय जांच/अभियोजन की कार्यवाही प्रचलित हो उन्हें पारस्परिक स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी।

ख – ज्येष्ठता

(1) पारस्परिक स्थानान्तरण के फलस्वरुप उत्तरवर्ती राज्य में कार्य ग्रहण करने वाले शासकीय सेवकों का संविलियन करते हुए उनकी सापेक्ष वरिष्ठता अखिल भारतीय सिविल सेवाओं की भांति मूल संवर्ग में उनके नियुक्ति/ पदोन्नति वर्ष के अनुसार अन्त में निर्धारित की जाएगी यथा शासकीय सेवक की उस संवर्ग में नियुक्ति/ प्रोन्नति यदि वर्ष 1994 की है, तो पारस्परिक स्थानान्तरण पर आए शासकीय सेवक का नाम पदक्रम सूची में वर्ष 1994 के उस वंवर्ग में नियुक्त/पदोन्नत कुल शासकीय सेवकों के उल्लिख्ति अन्तिम नाम के नीचे तथा वर्ष 1995 में नियुक्त/पदोन्नत शासकीय सेवकों के नामों से ऊपर रखा जाएगा। (2) भारत सरकार द्वारा किए गए अन्तिम राज्य आवंटन के दिनांक 09 नवम्बर, 2000 के बाद शासकीय सेवक की उत्तरवर्ती राज्य में यदि पदोन्नति दी गई है और वे पारस्परिक स्थानान्तरण करना चाहते हैं तो उन्हें पारस्परिक स्थानान्तरण पर आए उत्तरवर्ती राज्य में यदि पदोन्नति दी गई है आर वे पारस्परिक स्थानान्तरण करना चाहते हैं तो उन्हें पारस्परिक स्थानान्तरण पर आए उत्तरवर्ती राज्य में अन्तिम आवंटर के समय यथा दिनांक 09–11–2000 को धारित पद पर पदावनत् कर उसी संवर्ग में संविलियन किया जाएगा। पारस्परिक स्थानान्तरण के फलस्वरुप उत्तरवर्ती राज्य में कार्यभार ग्रहण करने के बाद सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी यदि संवर्ग में पदोन्नति हेतु पात्रता रखतें हैं ता इस पर सम्बन्धित राज्य द्वारा विचार किया जा सकेगा और ऐसे अधिकारी/कर्मचारी की सापेक्ष वरिष्ठता अखिल भारतीय सेवाओं की भांति मूल संवर्ग में उनके नियुक्ति/पदोन्नति वर्ष के अनुसार अन्त में निर्धारित की जाएगी जैसा कि उपरोक्त ख (1) में उल्लेखित किया गया है।

ग – सेवानैवृत्तिक लाभ

पारस्परिक स्थानान्तरण के फलस्वरुप कार्मिक के पेंशन एवं अन्य समस्त सेवानैवृत्तिक लाभ का उत्तरदायित्व सम्बन्धित उत्तरवर्ी राज्य का होगा। कार्मिक के पेंशन दायित्व का प्रभाजन उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम–2000 की धारा–54 की आठवीं अनुसूची में उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार किया जाएगा।

घ – पारस्परिक स्थानान्तरण की प्रक्रिया

पारस्परिक स्थानान्तरण के इच्छुक शासकीय सेवकों द्वारा संयुक्त आवेदन एवं आपसी सहमति पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो, दोनों राज्यों को उचित माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर सम्बन्धित विभागों की पारस्परिक सहमति प्राप्त होने के उपरान्त आदेश उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरात्त आदेश उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग की सहमति से जारी किए जाएगे।

ड़ – स्थानान्तरण यात्रा भत्ता

पारस्परिक स्थानान्तरण के फलस्वरुप शासकीय सेवक को स्थानान्तरण भत्ता की प्रात्रता नहीं होगी।

2. पारस्परिक स्थानान्तरण की सुविधा भारत सरकार द्वारा सम्बन्धित विभाग के कार्मिकों के सम्बन्ध में जारी अन्तिम आदेश की तिथत से एक वर्ष तक अनुमन्य होगी।

सं0: 2335(1)/28–1–2006 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, राज्य पुनर्गठन विभाग, उत्तरांचल शासन को उनके पत्र सं0:1110/रा0प0/XXXVII/4 टी0सी0/2001 दिनांक 19 सितम्बर, 2005 के क्रम में।
3. अपर सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, तीसरी मंजिल, लोक रायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।
4. श्री मनीष मोहन, उपसचिव, (एस0आर0) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, तीसरी मंजिल, लोक रायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।
5. प्रमुख सचिव, महामहिम, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
6. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल शासन, लखनऊ।
7. स्थानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली।
8. प्रधान निजी सचिव, अध्यक्ष राज्य परामर्शीय समिति, नई दिल्ली।
9. ररिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
10. रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बैंच, लखनऊ।

11. रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल।
12. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
13. प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
14. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
15. सुश्री अंजलि, अपर स्थायी, अधिवक्ता, भारत सरकार, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
16. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बैंच, लखनऊ।
17. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
18. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।

संख्या 226 / मा0सं0वि / 2003

प्रेषक,

एम0 रामचन्द्रन,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
उत्तरांचल।

शिक्षा विभाग देहरादून : दिनांक 10 अप्रैल, 2003

विषय : प्रदेश के प्रत्येक जनपद में प्रतिभा केन्द्र के रुप में एक–एक राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय की स्थापना।

मदोहय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थिति एवं विभिन्न जनपदों के दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में एक–एक राजाव गाँधी नवोदय विद्यालय की स्थापना का सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है। राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय निम्नवत् हैं :–

2. उद्देश्यः–

(1) प्रदेश के प्रतिभावान छात्रों का सर्वांगीण विकास (मानसिक, शारीरिक व आध्यात्मिक) कर अधिकतम दक्षताओं का विकास।

(2) क्षेत्रीय असमानता से ऊपर उठकर छात्रों को प्रगति के अवसर उपलब्ध कराना।

(3) छात्रों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना।

(4) छात्रों में अपने पर्यावरण के प्रति पर्याप्त जागरूकता पैदा करना।

(5) छात्रों को रोजगार के अवसरों के अनुरुप शिक्षा प्रदान कराया जाना।

(6) छात्रों के सम्पूर्ण विकास हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करना।

(7) विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर, छात्रों को राष्ट्र की सेवा में उच्च स्तरों पर महत्वपूर्ण दायित्वों के निर्वहन हेतु दक्षता प्राप्त करने में सक्षम बनाना।

3. कार्यान्वयन योजनाः–

प्रस्तावित विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक अनिवार्य आवासीय व्यवस्था के साथ निःशुल्क सहशिक्षा प्रदान की जायेगी। जनपदों में विद्यालयों की स्थापना के लिए वर्ष

2002–2003 में एक जनपद में, 2003–3004 में चार जनपद, 2004–2005 में चार जनपद और 2005–2006 में शेष चार जनपदों का लख्य प्रस्तावित है। यह विद्यालय जिला मुख्यालय अथवा किसी अपेक्षाकृत शिक्षा के दृष्टिकोण से पिछड़े केन्द्र पर स्थापित किया जाय।

4. राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधायें निम्नवत् होगी

:– (1) प्रवेश की व्यवस्था :–

प्रारम्भ में विद्यार्थियों का प्रवेश कक्षा 6 एवं कक्षा 9 में किया जायेगा। आगामी वर्षों में शनैः–शनैः उच्च कक्षाओं का संचालन किया जाय। विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नरेन्द्रनगर, टिहरी द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजि की जायेगी तथा विद्यार्थियों का चयन श्रेष्ठता के आधार पर किया जाय।

(2) कक्षा 6 में प्रवेश हेतु विद्यार्थी की आयु 01 जुलाई को 10 वर्ष से 12 वर्ष के मध्य एवं कक्षा 9 में प्रवेश हेतु विद्यार्थी की आयु 01 जुलाई को 13 वर्ष से 15 वर्ष के मध्य होगी। इन दो स्तरों पर प्रवेश हेतु किसी मान्यता प्रप्त संस्था से क्रमशः कक्षा 5 व 8 उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने हेतु 75 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जाय तथाा बालक और बालिकाओं का अनुपात 50–50 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाय। विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राविधानों एवं नीति के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

(3) शिक्षण व्यवस्था :–

उक्त विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक की कक्षायें संचालित की जायेंगी। कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक कक्षा से दो अनुभाग होंगे। कक्षा 9 से 12 तक शुरु के 3 वर्षों में दो अनुभाग संचालित किये जाय। तत्प्श्चात् प्रत्येक कक्षा में 4–4 अनुभाग होंगे जिनमें से दो अनुभाग कक्षा 8 से उसी विद्यालय से उर्त्तीण होकर आने वाले विद्यार्थियों के लिये तथा शेष दो अनुभाग में विद्यार्थियों का चयन कक्षा 9 में प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। प्रत्येक अनुभाग में अधिकतक छात्र संख्या 30 होगी। इस प्रकार विद्यालय में अन्तिम रुप से विद्यार्थियों की कुल संख्या 660 निर्धारित की गई है।

(4) पाठ्यक्रम :–

चूंकि इस विद्यालय का उद्देश्य या अध्यापन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ संस्था के रुप में स्थापित किया जाना है अतः इसके लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि यहां के उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी विभिन्न राष्ट्रीय सेवाओं में प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में प्रतिभाग कर व तकनीकी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा/दक्षता प्राप्त कर उपलब्ध रोजगारपरक सुविधाओं का समुचित उपयोग कर सकें। अतः इन विद्यालयों में सी0बी0एस0ई0 का पाठ्यक्रम संचालित

किया जायेगा तथा सी0बी0एस0ई0 से मान्यता प्राप्त करने के अग्रेतर कार्यवाही भी की दृष्टिगत् अनुपूरक पाठ्य सामग्री के समावेश हेतु प्रत्येक कक्षा में एक पुस्तक एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तरांचल द्वारा तैयार कर संचालित की जाय। त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी और अन्य भाषा जिसमें विदेशी भाषा भी शामिल हो, के अध्ययन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय।

(5) शिक्षा का माध्यम :–

हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यमों से शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था उपलब्ध करायी जाय तथा उसके लिए अनुभागों को 5.–50 प्रतिशत के अनुपात में वर्गीकृत किया जायेगा। शिक्षा के माध्यम का चुनाव छात्रों द्वारा किया जायेगा जिस हेतु प्रवेश परीक्षा की मैरिट को आधार माना जाय।

(6) स्थानान्तरण हेतु व्यवस्था :–

विशिष्ट परिस्थितियों में विद्यार्थियों को एक राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय ऐ दूसरे राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय में स्थानान्तरण की सुविधा छात्र संख्या एवं विद्यालय की क्षमता के आधार पर प्रदान की जा सकती है।

(7) प्रबन्धन :–

प्रत्येक विद्यालय के प्रबन्धन के लिए एक स्थानीय समिति निम्नवत् गठित की गयी है :– 1–जिलाधिकारी अध्यक्ष

2–विद्यालय के प्रधानाचार्य सदस्य सचिव

3–(अ) प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पदेन सदस्य

(ब) जिलाधिकारी द्वारा नामित निम्न तीन सदस्य :–

- जनपद में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे स्वयं सेवी संस्था से एक शिक्षाविद्।
- जनपद में उपलब्ध सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी अथवा ख्याति प्राप्त सेवानिवृत्त शिक्षक।
- जनपद मे निवास कर रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य सरकार की सेवा/ भारत सरकार के किसी संगठन से सेवानिवृत्त, शिक्षा में रुचि रखने वाले अधिकारी।

4–जनपद में स्थापित विश्वविद्यालय के कुलपति/कैम्पस् इन्चार्ज/पोस्ट ग्रेजुएट विद्यालय के प्राचार्य द्वारा नामित एक प्राध्यापक।

समिति का कार्य एवं उत्तरदायित्व :–

1–विद्यालय का सामान्य प्रशासान।

2–अध्ययन–अध्यापन हेतु अध्यापकों की व्यवस्था।

3–विद्यालय में छात्रों के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सुचित प्रबन्ध।

4–विद्यालय के अकादमिक (Academic) पक्ष का समय–समय पर अनुश्रवण।

5–छात्रों की क्षमताओं के विकास के लिये नयी योजनायें बनाने और उनका क्रियान्वयन।

6–समिति द्वारा राज्य सरकार/शिक्षा निदेशक द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। 7–यह समिति संस्था के विकास के लिये राज्य सरकार के अलावा अन्य स्रोतों से सहयोग राशि आदि लेने के लिये भी अधिकृत होगी।

(8) विद्यालय हेतु अध्यापकों की व्यवस्था :–

विद्यालय हेतु अध्यापकों का चयन शासकीय/अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों, केन्द्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय आदि से प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाय। प्रतिनियुक्ति की अवधि 5 वर्ष की होगी किन्तु अक्षमता अथवा अस्वस्थता आदि अपरिहार्य कारणों पर प्रतिनियुक्ति की अवधि कम की जा सकती है। प्रतिनियुक्ति पर योग्य अध्यापक न मिलने की दशा में निश्चित मानदेय पर भी अध्यापकों की नियुक्ति कीक जा सकती है, इस हेतु 65 वर्ष के सेवा निवृत्त शिक्षक भी अर्ह होंगे।

प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों का चयन शिक्षा निदेशक द्वारा गठित बोर्ड क्षरा किया जायेगा और इसमें शिक्षक के कार्यानुीात और उसके अध्यापन के दौरान पढ़ाये गये परीक्षाफल के आधार योग्यतम् अध्यापकों का चयन किया जाय। महिला एवं पुरुष दोनों योग्याता के आधार पर चयनित किये जाय। विद्यालय के प्रधानाचार्य समस्त छात्रों की उपलब्धियों के प्रति उत्तरदायी होंगे व विद्यालय के उत्तम स्तर के परीक्षाफल का उत्तदायित्व भी उनका ही होगा। सम्बन्धित विषय के अध्यापक अपने छात्रों के परीक्षाफल के प्रति उत्तरदायी होंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक/कर्मचारियों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु भी व्यवस्थ की जाय।

(9) विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की सुविधा :–

परिषदीय परीक्षा में प्रदेश के अधिकतम् अंक पाने वाले उन प्रथम 10 छात्रों, जो इन विद्यालयों में अध्ययनरत हों, को प्रतिकक्षा रु0 1000/– प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। यदि किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा योग्य छात्रों को कोई छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है तो विद्यालय प्रबन्ध समिति इसे स्वीकार करेगी।

(10) विद्यालय हेतु भूमि भवन की व्यवस्था :–

विद्यालय हतु न्यूनतम 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। इसमें 22 कक्षा कक्षों का निर्माण, इण्टर स्तर पर भौतिक, रसायन तथा जीव विज्ञान विषयों की प्रयोगशालाओं का निर्माण, हाईस्कूल स्तर पर 02 प्रयोगशालाओं का निर्माण, 01 प्रधानाचार्य कक्ष, 01 उप प्रधानाचार्य कक्ष, पुस्तकालय, वाचनालय, बहुउद्देशीय हाल (Multipurpose Hall), रसोईघर, टाईप–।। आवास–2, टाइप–।।। आवास–32, टाइप–। के 06 आवास के निर्माण के साथ–साथ क्रीड़ा स्थल भी तैयार किया जायेगा। इस हेतु नियमानुसान आगणन तैयार कर यथोचित कार्यवाही की जायेगी। भवनों का निर्माण यथासमय आवश्यकतानुसार चरणों में किया जाय।

(11) राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय हेतु निम्न पद सृजित किये गये हैं :–

पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
प्रधानाचार्य	1	
उप प्रधानाचार्य	1	
प्रवक्ता/पीजीटी	12	
सहायक अध्यापक	20	
पीटीआई	1	
कार्यालय अधीक्षक	1	
वरिष्ठ लिपिक/कम्प्यूटर आपरेटर	1	

मेट्रन केयरटेकर	1	

इसके अतिरिक्त कनिष्ठ लिपिक 02, कम्प्यूटर आपरेटर 01, स्टोर कीपर 01, तथा चतुर्थ श्रेणी 06, माली, स्वीपर आदि की व्यवस्था संविदा के आधार पर की जाय।

क्योंकि प्रथम वर्ष छात्रों के प्रवेश कक्षा 6 और 9 में दो–दो अनुभागों में होंगे अतः उस वर्ष प्रवक्ताओं की नियुक्ति नहीं की जायेगी तथा 07 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति ही की जायेगी।

आगामी वर्षों में आवश्यकतानुसार अध्यापकों की नियुक्ति की जाय, जिसमें एक अनुभाग पर 1.5 अध्यापक के हिसाब से गणना की जायेगी।

(12) भूमि–भवन एवं कक्षों का निर्माण :–

निर्माण कार्य को निम्नवत् तीन चरणों में कराया जाना प्रस्तावित है :–

प्रथम चरण में 08 कक्षा कक्ष, प्रशासनिक ब्लाक, प्रयोगशाला एवं अध्यापन कक्ष, भोजनालय, डोरमेटरी, (क्षमता 240 छात्रों हेतु) प्रधानाचार्य आवास, कर्मचारी आवास, चिकित्सा कक्ष, प्रशासनिक खण्ड एवं चतुर्थ श्रेणी आवास का निर्माण किया जाय।

द्वितीय चरण में 10 कक्षा कक्ष, कर्मचारियों हेतु 08 आवास, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु 02 आवास, 180 छात्रों हेतु डोरमेटरी, बहुपयोगी कक्ष, जिम/कार्यशालय एवंत रणताल आदि का निर्माण किया जायेगा।

5. उल्लेखनीय है कि जनपद देहरादून में प्रथम राजीस गांधी नवोदय विद्यालय का शिलान्यास किया जा युका है। इस नवोदय विद्यालय हेतु भवन निर्माण के लिये आदेश संख्या 285 / माध्यमिक/2003 दिनांक 29 मार्च, 2003 के द्वारा रु0 4.17.43,310/– (चार करोड़ सत्रह लाख तैतालिस हजार तीन सौ दस मात्र) की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है । माह–जुलाई 2003 में इस विद्यालय को प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं चूँकि स्थायी भवन बनने में समय लगेगा, इस हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के रुप में आवश्यक, कार्यवाही जून माह से पूर्व पूर्ण करके माह जुलाई से विद्यालय में पठन पाठन प्रारम्भ किया जाय।

6. आगामी शैक्षिक सत्र से देहरादून में स्थापित किये जा रहे राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय में बच्चों के चयन हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित करने हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जाय। इस हेतु विज्ञापन देते समय निःशुल्क व्यवस्था का उल्लेख किया जाय लेकिन विज्ञापन में यह इगित किया जाय कि प्रथम वर्ष के अनुभव के आधार पर आगे छात्रावास पर होने वाले व्यय तथा अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क लेने की आवश्यकता के सम्बन्ध में यथासमय अग्रिम निर्णय लिया जाएगा।

7. अन्य जनपदों में राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय की स्थापना किये जाने हेतु पहले किसी उपलब्ध विद्यालय को परिवर्द्धित करने तथा अनुपलब्धता की स्थिति में उपरोक्तानुसार नवनिर्माण की व्यवस्था भी की जा सकती है। उपरोक्त के अतिरिक्त वर्तमान में चल रहे किसी जवाहर नवोदय विद्यालय का अध्ययन करनके तााि प्रथम वर्ष स्कूल को चलाने के वित्तीय अनुभव के मूल्यांकन के आधार पर शुल्क के सम्बन्ध में यथासमय प्रस्ताव/संस्तुति प्रस्तुत की जाय। विभाग द्वारा कक्षा 5 कक्षा 8 में बोर्ड द्वारा परीक्षा के आयोजन की व्यवस्था के अपरान्त प्रवेश परीक्षा के स्थान पर बोर्ड परीक्षा में प्रथम पाने वाले बच्चों को इन विद्यालयों में प्रवेश देने की व्यवस्था की जायेगी।

अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार जनपद देहरादून में आगामी शैक्षिक सत्र से राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय के संचालन हेतु समिति के गठन, भवन निर्माण वैकल्पिक व्यवस्था, प्रवेश परीक्षा, पाठ्यक्रम व्यवस्था एवं वित्तीय उपाशयता आदि समस्त सम्बन्धित बिन्दुओं के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने तथा यथा आवश्यकता प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु व्यवस्था करने का कष्ट करें।

,

।

पृ0सं0 226(1)/प्रा0शि0/2003–04, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।

2–सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।

3–प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।

4–निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।

निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

5–समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी उत्तरांचल

6–मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, कुमायूँ/गढ़वांल

7–समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तरांचल।

8–अनुभागीय पुस्तिका।

विषयः प्रदेश के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में प्रभावी निरीक्षण व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने विषयक।

महोदय,

शासन के संज्ञान में शिक्षकों संधों, अभिभावकों एवं जन प्रतिनिधयों द्वारा इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि प्रदेश के प्राथमिक एवं माध्यमिक में नियमित रूप से निरीक्षण का कार्य सम्पादित नहीं किया जाता है, जिससे एक ओर शैक्षिक गुणवत्ता प्रभावित होती है वहीं दूसरी ओर विद्यालयों में अनुशासनहीनता, अराजकता, शिक्षकों की अनुपस्थिति आदि तथ्य समय–समय पर औचक निरीक्षण के दौरान जनपदीय अधिकारियों द्वारा शासन के संज्ञान में लायी जाती है। उल्लेखनीय हे कि निरीक्षण की व्यवस्था के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों एवं शिक्षा संहिता के प्राविधानों में नियमित निरीक्षण का उल्लेख किया गया है। जिसका अनुपालन निरीक्षक वर्ग द्वारा किया जाना अनिवार्य है। इस परिपेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त मण्डलीय, जनपदीय एवं विकास खण्ड स्तर के निरीक्षण वर्ग के अधिकारियों से निरीक्षणकी प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय। यदि उक्त प्राविधानों में शैक्षिक गुणवत्ता के दृष्टिगत कोई कमियां हो तो संशोधन हेतु प्रस्ताव शासन के विचारार्थ अबिलम्ब उपलब्ध कराया जाये। अतः अनुरोध है कि शैक्षिक हित में निरीक्षण की प्रभावी व्यवस्था प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित करायी जाय तथा निरीक्षण वर्ग हेतु समय–समय पर प्रशिक्षण, संगोष्ठी, डीमोन्सट्रेशन आदि के सम्बन्ध में नियमित व्यवस्था की जाय। निरीक्षण वर्ग की निरीक्षण वर्ग को निरीक्षण आख्या के उच्चाधिकारयिों द्वारा सत्यापन के आधार पर ही वेतन यात्रा भत्ता एवं अन्य अनुमन्य लाभों का भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

मानव संसाधन विकास विभाग उत्तरांचल

संख्या :/ 2479

/मा0सं0वि0/2001–2002 प्रेषक,

, 1 जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड ।

, 2 जिला विद्यालय निरीक्षक
उत्तराखण्ड।

मानव संसाधन विकास विभाग देहरादून

विषयः उत्तरांचल के प्रत्येक जनपद के 100 विद्यालयों में ईको–क्लब' की सीपना।

महोदय,

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विद्यालयों में कक्षा 5 से 12 तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए ईको–क्लब कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।

इको–क्लब' कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में पर्यावरणीय जागरूकता का प्रसार करने एवं पर्यावरण के संरक्षण एवं संवद्धन हेतु विभिन्न गतिविधिया संचालित करने के लिए विद्यालयों में राष्ट्रीय हरित सेना (नेशनल ग्रीन आर्मी) का गठन करना एंव ईको–क्लबों के माध्यम से पर्यावरण संवर्द्धन की विशिष्ट गतिविधियों का संचालन कराना है।

यह कार्यक्रम प्रत्येक जनपद के 100 विद्यालयों में संचालित किया जाना है। कार्यक्रम के मुख्य केन्द्र बिन्दु प्रदेश के राजकीय व मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय होंगें, तथापि इसमें सभी केन्द्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालय, सीबीएसई और आईसीएसई से सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जायेगा। प्रत्येक ईको–क्लब में 30 से 50 तक सदस्य हेंगं। इनकी संख्या बढ भी सकती है।

• चयनित विद्यालयों के एक उपयुक्त अभिरूचि रखने वाले अध्यापको को ईको क्लब का प्रभारी अध्यापक नियुक्त किया जायेगा।

• प्रभारी अध्यापकों के लिये राज्य स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगें।

• ईको–क्लब के सदस्यों को विभिन्न विद्यालयी तथा अन्तर्विद्यालयी पर्यावरण जागरूकता गतिविधियों में प्रतिभाग के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। ये विभिन्न गतिविधियां मार्च, रैली मानव–श्रृंखला निमार्ण वृक्षारोपण, भाषण वाद विवाद कैम्प आदि हो सकते है।

• ईको–क्लब आपस में भी सूचना का आदान प्रदान करेंगें तथा आपस में सम्पर्क रखेंगे।

• प्रत्येक ईको–क्लब अपने विशिष्ट क्रियाकलापों हेतु अपनी कार्ययोजना तैयार करेगा। इसके लिऐ ऐसे क्षेत्रों का चयन किया जाएगा जो स्थानीय तात्कालिक आवश्यकता पर आधारित हेंगें तथा जिन पर विद्यार्थियों द्वारा कार्य किया जा सके। ऐसे कुछ क्षेत्र निम्नवत चिन्हित है जिनमें से उपर्युक्त बिन्दुओं को चुना जा सकता है।

- घरेलू कूडे का निस्तारण।
- पानी की कमी तथा जल प्रदुषण।
- जनसुविधाओं का अभाव।

- पार्को और बाग बगीचों का रख रखाव।
- जन सामान्य में पर्यावरण के प्रति सकारात्मक प्रवृत्तियों का विकास।
- स्थानीय पर्यावरणीय प्रणाली का अध्ययन तथा हमारे जीवन में जैव विविधता का महत्वपूर्ण सीान।
- अस्पताल के कूडे का निस्तारण।
- वायु प्रदुषण।
- नगरीय वनीकरण तथा वृक्षारोपणं।

ईको क्लब कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ईको–क्लब को प्रति वर्ष रू0 1000/ (एक हजार रूपया वार्षिक) की आर्थिक सहायता भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही ईको–क्लब हेतु संदर्भ साहित्य के विकास और वितरण हेतु रू0 200 प्रति ईको क्लब के लिऐ भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। संदर्भ साहित्य का 75 प्रतिशत भाग राष्ट्र स्तर पर चयनित किया जायेगा। तथा 25 प्रतिशत भाग स्थानीय आवश्यकता पर आधारित हेागा। तथा इसका चयन संबधित एजेंसी द्वारा रिसोर्स एजेन्सी की सहायता से किया जाएगा। ईको क्लब विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का व्यय भार भी भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

राज्य व जनपद स्तर पर कार्यक्रमों के विषय में जनचेतना हेतु प्रचार प्रसार किया जायेगा। रिसोर्स एजेन्सी विद्यालयों के चयन में सहायता करेगी व अध्यापक प्रशिक्षण हेतु भी सहायता प्रदान करेगी तथा इस अभियान को प्रारंभ करने मेंसुलभकर्ता के रूप में सहायता देगी। उत्तरांचल में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण तथा सामग्री विकास एवं अन्य संद्रर्भ सहायता हेतु भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान जाखनदेवी मालरेाड अल्मोडा की रिसोर्स एजेंसी नियुक्त किया गया है।

ईको–क्लब कार्यक्रम का जनपद स्तर पर संचालन

प्रत्येक जनपद में इस अभियान के संचालन के लिये जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक ईको क्लब क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति गठित की जायेगी। इस समिति में सभी पक्षों शिक्षा विभाग पर्यावरण विभाग, वन विभाग, स्वास्थ्य विभा, चयिनित विद्यालयों के संस्थाध्यक्ष विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओ के प्रतिनिधियों तथा विशिष्ट नागरिक, रिसोर्स एजेंसी के कार्यकर्ता सदस्य हेंगें। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जनपदीय समिति में उपयुक्त व्यक्तियों केा नामित किया जा सकता है।

जनपद स्तर पर चयनित सभी विद्यलायों में कार्यक्रम के क्रियान्वयन का दायित्व जनपदीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति का होगा। प्रत्येक ईको क्लब अपीन विशिष्ट कार्ययोजना बना सकता है। ईको क्लब इस हेतु समुदाय से अतिरिक्त धनराशि भी जुटा सकते है। जनपदीय समिति कुछ ऐसे समान बिन्दुओं को चिन्हित कर सकती है जिस पर सभी ईको क्लब सामूहिक रूप से प्रयास करें। ऐसी गतिविधियों का पर्यवेक्षण जनपदीय क्रियान्वयन समिति करेगी।

विद्यालयों में कार्यक्रम के संचालन का दायित्व विद्यालयका ही होगा, तथापि जनपदीय क्रियान्वयन समिति प्रत्येक 15–20 विद्यालयों के समूह के लिए कार्यक्रमों के अनुश्रवण हेतु सदस्यों को नामित कर उत्तरदायित्व प्रदान करेगी।

उत्तरांचल के 11 जनपदें के 490 विद्यालयों में उत्तराखण्ड सेवानिधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान द्वारा पर्यावरण शिक्ष कार्यक्रम संचालित किया जा
रहा है। ऐसे विद्यालयों की जनपदवार सूची संलग्न है ईको क्लब कार्यक्रम संचालित करने हेतु प्रत्येक जनपद में ऐसे विद्यालयें का चयन किया जा
सकता है। शेष विद्यालयों का चयन जिला क्रियान्वयन समिति द्वारा किया जा सकता है। कृपया तद्नुसार नवीन शिक्षा सत्र 2001–2002 में जनपद में ईको क्लबों की स्थापना तथा उनको क्रियाशील बनाने के लिये अविलम्ब कार्यवाही
किया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। यह आशा है कि इन कार्यक्रमों द्वारा विद्यार्थियों एवं जन सामान्य में स्थानीय पर्यावरण के प्रति उपयुक्त
जागरूकता उत्तपन्न कर विशिष्ट गतिविधियों के संचालन द्वारा हम अपने प्रदेश को एक सुंदर स्वरूप दे पाने में समर्थ होंगें।

सर्व शिक्षा अभियान

भारत में सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा का कार्य{म

14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने संबंधी संवैधानिक प्रतिबद्धता के अनुसरण में सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान स्वतंत्रता प्राप्ति से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मुख्य विशेषता रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा काग्र योजना में दिये गए महत्व के अनुसरण में कई योजनाएं तथा कार्यक्रम आरंभ किए गए। इन योजनाओं में आपरेशन ब्लैकबोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, महिला समाख्या, राज्य विशेष बुनियादी शिक्षा परियोजनाएं जैसे आंध्र प्रदेश, प्राथमिक शिक्षा परियोजना, बिहार शिक्षा परियोजना, राजस्थान में लोक जुम्बिश परियोजना, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा संबंधी परियोजनाएं, राजस्थान में शिक्षाकर्मी परियोजना, प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीय पोषहार सहायता कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शामिल है।

प्रारंभिक शिक्षा क्यों

सभी को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय तथा समानता अपने–आप में ही एक ठोस तर्क है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि बुनियादी शिक्षा मानवताकल्याण, विशेषकर जीवन–प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, बच्चों का पोषाहार स्तर आदि के स्तर में सुधार करती है। अध्ययनों से पता चलता है कि सर्वसुलभ बुनियादी शिक्षा आर्थिक विकास में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाती है।

प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभकरण के लिए संवैधानिक, विधायी तथा राष्ट्रीय वक्तव्य

संवैधानिक, विधायी तथा राष्ट्रीय नीतियों तथा सक्तव्यों में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के उद्देश्य को समय–समय पर अनुमोदित किया गया है।

संवैधानिक आदेश 1950–"राज्य इस संविधान के लागू होने से 10 वर्ष की अवधि में सभी बच्चों को जब तक से 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदार करने का प्रयास करेगा।" राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986–"इक्कीसवीं शताब्दी में पंहुचने से पहले यह 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को संतोषजनक कोटि की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करेगा।"

उन्नीकृष्णन निर्णय 1993–"चौदय वर्ष की आयु पूरी करने तक देश के प्रत्येक बच्चे/नागरिक को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है।

" सुविधाएं प्रदान करके शत–प्रतिशत नामांकन तथा बच्चों को स्कूल में बनाए रखना। इसी अन्तर को पूरा करने के लिए सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम आरंभ किया हैं

सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए)

सर्व शिक्षा अभियान राज्यों की भागीदारी से समयबद्ध समेकित प्रयास द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को जन–जन तक पंहुचाने संबंधी चिर अभिलषित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास है। सर्व शिक्षा अभियान, जिजसे देश के प्रारंभिक शिक्षा में बदलाव लाने की

अपेक्षा की गई है, का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी तथा कोटिपकर प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। सर्व शिक्षा अभियान स्कूल पद्धति के कार्य निष्पादन में सुधार तथा समुदा आधारित कोटिपरक प्रारंभिक शिक्षा को मिशन रुप में प्रदान करने संबंधी जरुरत को पूरा करने का एक प्रयास है। इस कार्यक्रम में स्त्री–पुरुष असामानता तथा सामाजिक अंतर को समाप्त करने की परिकल्पना भी की गई हैं

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य

- सभी बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा गारण्टी केन्द्र, वैकल्पिक 'स्कूल टू स्कूल' शिविर की उपलब्धता
- सभी बच्चे तक पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें,
- सभी बच्चे 8 वर्ष की स्कूल शिक्षा पूरी कर लें,
- संतोषजनक कोटि की प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें जीवनोपयोगी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया हो, पर बल देना।
- स्त्री पुरुष असमानता तथा सामाजिक वर्ग–भेद को प्राथमिक स्तर तथा तक प्रारंभिक स्तर पर समाप्त करना।
- सभी बच्चों को स्कूल में बनाए रखना।

कार्यान्वयन का स्वरुप

केन्द्र तथा राज्य सरकारें मिलकर स्थानीय सरकारों तथा समुदाय के सहयोग से सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन करेंगी। प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य के प्रति राष्ट्रीय प्राथमिकता को दर्शाने के लिए राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान मिशन सीापित किया जा रहा है जिसके अध्यक्ष प्रधान मंत्री होंगे तथा उपाध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्रल होंगे। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि से प्रार।भिक शिक्षा को जन–जन तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री/शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यान्वयन सोसायटी का गठन करें। कई राज्यों में ऐसी सोसायटी का गठन किया जा चुका है।

सर्व शिक्षा अभियान से राज्यों तथा जिलों के मौजूदा ढ़ांचे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा बल्कि इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा संबंधी इन सभी प्रयासों में एक सूत्रता लाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे प्रयास किए जाएंगे जिनसे सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से स्कूल स्तर से निचले स्तर तक कार्यात्मक विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित हो सके। पुंचायती राज संस्थाओं, निर्धारित क्षेत्रों में जनजातीय परिषदों, जिनमें ग्राम सभा भी शामिल है, को स्वीकृति प्रदान करने के अलावा राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि गैर सरकारी संगठनों, शिक्षकों, स्वयंसेवकों, कलाकारों महिला संगठनों आदि को श्रूामिल करके अपनी जवाबदेही के क्षेत्र का विस्तार करें।

कवरेज तथा अवधि

सर्व शिक्षा अभियान में समूचे देश को शामिल किया जाएगा तथा प्रत्येक जिले में कार्यक्रम की अवधि जिला विशेष की जरुरतों के अनुसार इसके द्वारा तैयार की गई जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना पर निर्भर करेगी। तथापि, कार्यक्रम की अधिकतम अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गई है।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की मुख्य कार्यनीतियां

• **संस्थागत सुधार** – सर्व शिक्षा अभियान के एक भाग के रुप में राज्यों में संस्थागत सुधार किए जाएंगे। राज्यों को अपनी मौजूदा शैक्षिक पद्धति को वस्तुपरक मूल्यांकन करना होगा जिसमें शैक्षिक प्रशासन, स्कूलों में उपलब्धि स्तर, वित्तीय मामले, विकेन्द्रीकरण तथा सामुदायिक स्वामित्व, राज्य शिक्षा अधिनियम की समीक्षा, शिक्षकों की नियुक्ति तथा शिक्षकों की तैनाती को तर्क सम्मत बनाना, मानीटरिंग तथा मूल्यांकन, लड़कियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा सुविधाविहीन वर्गों के लिए शिक्षा, निजी स्कूलों तथा ई.सी.सी.ई. संबंधी मामले शामिल होंगे। कई राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था में सुधार के लिए संस्थागत सुधार भी किए गए है।

□ **सतत वित्तपोषण–** सर्व शिक्षा अभियान इस तथ्य पर आधारित है कि प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम का वित्तपोषण सतत जारी रखा जाए। केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय सहभागिता पर दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य की अपेक्षा है।

• सामुदायिक स्वामित्व– इस कार्यक्रम के लिए प्रभावी विकेन्द्रीकरण के जरिए स्कूल आधारित कार्यक्रमों की सामुदायिक स्वामित्व की अपेक्षा है। महिला समूह, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों और पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को शामिल करके इस कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा।

• संस्थाग क्षमता निर्माण– सर्व शिक्षा अभियान द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान/शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद/राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद/राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद/सीमेट जैसी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थाओं के लिए क्षमता निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना की गई है। गुणवत्ता में सुधर के लिए विशेषज्ञों के स्थायी सहयोग की प्रणाली की आवश्यकता है।

• **शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख धारा का सुधार** – इसमें संस्थागत विकास, नई पहल को शामिल करना और लागत प्रभावी और कुशल पद्धतियां अपना शैक्षिक प्रशासन की मुख्य धारा में सुधार करने की अपेक्षा है।

• **पूर्ण पारर्शिता युक्त सामुदायिक मॉनीटरिंग** – इस कार्यक्रम में अमुदाय आधारित पद्धति अपनायी जाएगी। शैक्षिक प्रबंध सूचना पद्धति, नाइको आयोजना और सर्वेक्षण से समुदाय आधारित सूचना के साथ स्कूल स्तरीय ऑकड़ों का संबंध स्थापित करेगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक एक नोटिस का रखेगा जिसमें स्कूल द्वारा प्राप्त किए गए सारे अनुदान और अन्य ब्यौरे दर्शाए जाएंगे।

• **आयोजना एकक के रुप में बस्ती** – सर्व शिक्षा अभियान आयोजना का इकाई के रुप में बस्ती के साथ योजना बनाते हुए समुदाय आधारित दृश्टिगत पर कार्य करता है। बस्ती योजनाएं जिला की योजनाएं तैयार करने का आधार होंगी।

• **समुदाय के प्रति जवाबदेही**–सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षाकों, अभिभावकों और पंचायती राज संस्थाओं के बीच सहयोग तथा जवाबदेही एवं पारदर्शिता की परिकल्पना की गई है।

• **लड़कियों की शिक्षा** – लड़कियों विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित की लड़कियों की शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान का एक प्रमुख लक्ष्य होगा।

• **विशेष समूहों पर ध्यान** – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों, वंचित वर्गों के बच्चों और विकलांग बच्चों की शैक्षिक सहभागिता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

• **परियोजना पूर्व चरण**– सर्व शिक्षा अभियान पूरे देक्ष में सुनियोजित रुप में सुधार करके, तथा बाल केन्द्रित कार्यकलापों और प्रीाावी शिक्षण पद्धतियों को अपनाकर प्रारंभिक स्तर तक शिक्षा को उपयोगी और ..... बनाने पर विशष बल देता है।

• **शिक्षाकों की भूमिका**– सर्व शिक्षा अभियान शिक्षाकों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है और उनकी विकास संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान देने का समर्थन करता है। ब्लाक संसाधन केन्द्र/सामूहिक संसाधन केन्द्र की स्थापना, योग्य शिक्षाकों को नियुक्ति, पाठ्यचर्या से संबंधित सामग्री के विकास में सहयोग के जरिए शिक्षक विकास के अवसर शिक्षा संबंधी प्रक्रिया पर ध्यान देना और शिक्षकों के एक्सपोजर दौरे, शिक्षकों के बीच मानव संसाधन को विकसित करने के उद्देश्य से तैसार किए जाते है।

• **जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना** – सर्व शिक्षा अभियान के कार्य ढांचे के अनुसार, प्रत्येक जिला एक जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना तैयार करेगा जो संकेद्रित और समग्र दृष्टिकोण से युक्त प्रारंभिक जिला क्षेत्र में किए गए सभी विदेशों को दर्शाएगा।

सर्व शिक्षा अभियान के घटक

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षक प्रशिक्षण, प्रारंभिक शिक्षा का गुणत्मक ..... अध्ययन सामग्रियों का प्रावधान, शैक्षिक सहायता के लिए ब्लाक और सामूहिक संसाधन केन्द्रों की स्थापना, कक्षाओं और स्कूलों भवनों का निर्माण, शिक्षा गारण्टी केन्द्रों की स्थापना और विकलांगों और दूरस्थ शिक्षा शामिल है।

प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता–

प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार, अगले दस वर्षों के लिए केन्द्र और राज्य स्तरीय विभागों के बजट से लगभग 60,000 करोड़ रु0 के अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है। चूंकि सर्व शिक्षा अभियान, प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का कार्यक्रम है

अतः प्राथमिक स्कूलों के लिए एक उच्च प्राथमिक स्मूल/संक्शन की सीमा निर्धारित की गई है।

कक्षाएं–

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल में प्रत्येक शिक्षक के लिए एक कमरा।

उच्च प्राथमिक स्कूल / क्षेत्र में मुख्य अध्यापक के लिए एक कमरा।

निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें –

प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी बालिकाओं/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए प्रत्येक बच्चे पर 150 रु0 की

अधिकतम सीमा के अन्दर पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जाएगी।

सिविल कार्य –

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की निधियों का 33 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक उपयोग।
स्कूल सुविधाओं में सुधार के लिए वी.आर.सी/सी.आर.सी. का निर्माण।
कार्यालय भवनों के निर्माण पर कोई व्यय वन नही किया जाएगा।

स्कूल भवनों का रखरखाव व मरम्मत –

केवल स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा।
स्कूल समिति योगदान के तत्वों को अवश्य शामिल करना।
शिक्षा गारंटी योजना के तत्वों को अवश्य शामिल करना।

शिक्षा गारंटी योजना को नियमित स्कूल के रुप में स्तरोन्नत करना –

प्रत्येक स्कूल के लिए 10,000/– रु0 की दर टी.एल0ई0 के लिए प्रावधान।
शिक्षक और कक्षाओं के लिए प्रावधान।

उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए टी.एल.ई.–

शामिल नहीं किए गए स्कूलों के लिए 50,000/–रु0 की दर से प्रति स्कूल

स्कूलों के लिए अनुदान –

प्राथमिक / उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए स्कूल उपकरणों को

शिक्षक अनुदान –

सभी शिक्षकों के लिए 20 दिनों के सेवाकालीन प्रशिक्षण का प्रावधान, अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए 80 दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्क्रम और 70रु0 प्रतिदिन की दर से नए भर्ती प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए 30 दिन का प्रबोधन पाठ्यक्रम का प्रावधान।

राज्य शैक्षिक प्रबंध प्रशासन और प्रशिक्षण संस्थान

2 करोड रु0 तक एक बारंगी वित्तीय सहायता।

सामुदायिक नेताओं का प्रशिक्षण –

एक गांव में 2 दिनों के लिए अधिकतम 8 व्यक्ति 30 रु प्रतिदिन की दर से

विकलांग बच्चों के लिए प्रावधान

प्रस्ताव विशोष के अनुसार विकलांग बच्चों को शामिल करने के लिए रु0 1200/– तक की राश्ज्ञि प्रति बच्चे की दर से।

शोध, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण एवं मानीटरन – रु0 1500/– तक प्रति स्कूल प्रति वर्ष विशेषज्ञों का पूल बनाना, जिसमें मानीटर के लिए उन्हें यात्रा अनुदान तथा मानदेय प्रदान करना, समुदाय आधारित आंकडे तैयार करना, शोध, अध्ययन, निर्धारण लागत तथा मूल्यांकन शर्ते एवं उनकी क्षेत्र विशिष्ट गतिविधियां शामिल है। प्रबंधन लागत – किसी जिले की योजनागत बजट के 6 प्रतिशत से अधिक नही जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–।

उद्देश्य

1. प्राथमिक शिक्षा में नामांकन, सम्प्राप्ति और ड्राप आउट में लैंकगत तथा सामाजिक वर्गों के अन्तर को 5 प्रतिशत तक कम करना।
2. सभी विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक कक्षाओं में ड्राप आउट की दर को 10 प्रतिशत के कम करना। 3.
3. 6–11 वय वर्ग के सभी बच्चों को जहां तक सम्भव हो प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा अथवा उसके समकक्ष वैकल्पिक शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।
4. प्राथमिक शिक्षा के नियोजन, प्रबन्धन और मूल्यांकन के लिए राज्य एवं जनपद स्तरीय संस्थाओं की क्षमता का सम्बर्द्धन करना।

उपागम विस्तार

पर्वतीय क्षेत्र में 1 कि.मी. तथा मैदानी क्षेत्र में 1.5 कि.मी. की दूरी पर 300 की आबादी वाली असेवित बस्तियों में नये प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गयी है।

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र

6–14 वय वर्ग के सामाजिक, पारम्परिक, आर्थिक अथवा घरेलू कारणों से औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश लेने में असमर्थ बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र (शिक्षा घर) स्थापित किये गये है, जो सामुदायिक स्वामित्व और प्रबन्ध की संकल्पना तथा शिक्षार्थियों की गति अनुसार अधिगम, सतत् मूल्यांकन एवं अनुकूल शिक्षण अधिकगम सामग्री पर आधारित है। जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत तथा हरिद्वार में 55 शिक्षा घर संचालित हैं।

आदर्श संकुलों का चयन

प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं की प्रतिभागिता को प्रोत्साहन करने हेतु अल्पसंख्यक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों तथा न्यून महिला साक्षरता दर वाली न्यायी पंचायतों को आदर्श संकुल (मॉडल क्लस्टर) के रुप में विकसित किया गया है । इन संकुलों में शिक्षक अभिभावक संघ, माता शिक्षक संघ, महिला प्रेरक समूह तथा माता अभिप्रेरक एवं शिक्षक संघों (ममता) का गठन करके क्रियाशील बनाने का प्रयास किया गया है। उक्त सभी संगठन विद्यालयों में बलिकाओं के धारण और उनकी संप्राप्ति स्तर को बढ़ाने में सहयोग प्रदान कर रहे है।

शिक्षामित्र

दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित एकल अध्यापकीय विद्यालयों तथा नवीन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षामित्रों की व्यवस्था की गयी है। शिक्षामित्रों का

चयन ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से किया गया है जिन्हें 30 दिवसीय प्रशिक्षण डायट द्वारा प्रदान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षामित्रों को रु. 1000/– प्रतिमाह की दर से मानदेय प्रदान किया जा रहा है।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र एवं ब्लाक संचालन केन्द्र

क्षेत्रगत समस्त स्कूलों में प्रारम्भिक शिक्षा के गुणत्मक विकास के लिए बच्चों शिक्षकों तथा समुदाय का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए सौहार्दपूर्ण
वातावरण में विभिन्न कार्यक्रमों /गतिविधियों का आयोजन तथा अनुश्रवण कर विद्यालयों का पथ–प्रदर्शन करने के लिए प्रत्येक विकास खण्ड में एक
विकास खण्ड संसाधन केन्द्र तथा प्रत्येक न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र की स्थापना की गयी है। डी.पी.ई.पी. जनपदों में 36 बी.आर.सी. तथा 280 एन.पीआर.
सी. संचालित है।

वार्षिक विद्यालय सुधार एवं शिक्षक अनुदान

परियोजना से आच्छाादित जनपदों के प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यक सुविधाओं में सुधार, विद्यालय सौन्दर्यीकरण तथा अनुरक्षण हेतु रु. 2000
प्रति विद्यालय की दर से वार्षिक अनुदान दिया गया है तथा प्रत्येक शिक्षक को स्थानीय उपलब्ध, अल्प लागत तथा बिना लागत की सामग्रियों से शिक्षण
अधिगम सहायक सामग्री के विकास हेतु रु. 500 वार्षिक अनुदान प्रदानकिया गया है।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण

जिला प्राथमिक कार्यक्रम से आच्छाादित सभी जनपदों में परिषदीय तथा राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बालकों तथा सभी वर्गों की समस्त बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जा रही है। वर्ष 2009–10 में इस योजना के अन्तर्गत 2.44 लाख बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जा रही हैं। शेष बच्चों को राज्य सरकार की सहायता से निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड– एक परिदृश्य

उत्तरांचल का उदय भारतीय गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में 09 नवम्बर, 2000 को हुआ। जहाँ इस राज्य के दक्षिण में उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम में हिमाचल प्रदेश स्थित है, वहीं दूसरी ओर इस राज्य की सीमायें पूर्व में नेपाल, तथा उत्तर पूर्व में चीन देश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमायें निर्धारित करती हैं। राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 53483 वर्ग किमी0 है, जो सम्पूर्ण राष्ट्र के कुल क्षेत्रफल के 1.69 प्रतिशत है। भौगोलिक रूप से उत्तरांचल मध्य हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। यह राज्य 770 34' व 810 02' पूर्वी देशान्तर तथा 280 43' से 310 27' उत्तरी अक्षांश के मध्य हिमालय में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से उत्तरांचल अपने कठिन पर्वतीय मार्ग, ऊबड़खाबड़ एवं पथरीले पर्वत, गहरी घाटियों एवं ऊँचे तीव्रगामी जलधाराओं एवं नदी नाले, तीव्र भूक्षरण निरन्तर भूस्खलन एवं छितरी हुई बस्तियों की विषेषताओं से युक्त है। उत्तरांचल की प्राकृतिक वनस्पति में चौड़ी पत्तियों वाले, बांज और चीड़ के वन प्रमुख है। यहाँ का मौसम विभिन्नता लिये हुये है जो ग्रीष्मकालीन मानसून में घाटियों में शीतोष्ण रहता है तो उच्च ढलानों पर समषीतोष्ण होता है। यहाँ का तापमान 160 सेंटीग्रेड से 400 सेंटीग्रेड रहता है परन्तु शीतकाल में उच्च पर्वतीय स्थानों पर शून्य डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। राज्य की प्रशासनिक संरचना निम्नवत् हैः–

मण्डल– 2	जनपद– 13	त्हसील– 78
विकास खण्ड– 95	शहरी क्षेत्र– 34	नगर– 84
न्याय पंचायत– 671	ग्राम पंचाचत– 7227	राजस्व ग्राम– 17606
आबाद ग्राम– 15652	गैर आबाद ग्राम– 954	

सर्व शिक्षा अभियान के अधीन हस्तक्षेप के लिए मानदण्ड

अध्यापक की नियुक्ति	🕘 प्राथमिक और अपर प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक 40 बच्चों के लिए एक अध्यापक। 🕘 एक प्राथमिक स्कूल में कम से कम दो अध्यापक।
2. स्कूल/वैकल्पिक स्कूली शिक्षा सुविधा	प्रत्येक बस्ती के एक किलोमीटर के भीतर। असेवित बस्तियों में राज्य मानदण्डों के अनुसार नए स्कूल खोलने अथवा ईजीएस जैसे स्कूल खोलने के लिए प्रावधान।
3. अपर प्राथमिक स्कूल/शाखा	प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों की संख्या पर आधारित आवश्यकता के अनुसार किन्तु अधिकतम सीमा प्रत्येक दो प्राथमिक स्कूलों के लिए एक अपर प्राथमिक स्कूल/शाखा की होगी।
4. क्लासरूम	प्रत्येक अध्यापक अथवा प्रत्येक ग्रेड/कक्षा के लिए प्राथमिक तथा अपर प्राथमिक स्तर पर इनमें से जो भी कम हो, इस प्रावधान के साथ एक कमरा और कम से कम दो अध्यापकों वाले प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में बरामदे सहित दो क्लासरूम होंगे। अपर प्राथमिक स्कूल/सेक्शन में मुख्याध्यापक के लिए एक कमरा।

5. निःषुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण	प्राथमिक तथा अपर प्राथमिक स्तर पर सभी लड़कियों/अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बच्चों हेतु इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक बच्चे पर खर्च की अधिकतम सीमा 150/–रू0 होगी। मुफ्त पाठ्यपुस्तकों का वित्तपोषण जो सम्प्रति राज्य योजनाओं में से किया जा रहा है, राज्यों द्वारा जारी रखा जाएगा। यदि किसी मामले में कोई राज्य प्रारम्भिक कक्षाओं के बच्चों को प्रदान की जा रही पाठ्यपुस्तकों की लागत आंशिक रूप से वहन कर रहा है तो सर्व शिक्षा अभियान के अधीन सहायता, पुस्तकों की लागत के उस अंश तक सीमित रहेगी जो बच्चों द्वारा वहन की जा रही है।
6. स्कूल भवनों का रखरखाव और मरम्मत	🕘 केवल स्कूल प्रबन्ध समितियों/वीईसी के माध्यम से। 🕘 स्कूल समिति द्वारा विशिष्ट प्रस्ताव के अनुसार प्रतिवर्ष 5000/–रू0 तक। 🕘 सामुदायिक योगदान अनिवार्यतः शामिल होना चाहिए। 🕘 सिविल निर्माण कार्यों के लिए 33ः की सीमा का आकलन करते समय भवनों के रखरखाव तथा मरम्मत सम्बन्धी खर्च शामिल नहीं किया जाना चाहिए। 🕘 अनुदान केवल उन्हीं स्कूलों के लिए उपलब्ध होगा जिनके पास स्वयं अपने भवन हैं।
13. राज्य शैक्षिक प्रबन्ध और प्रशिक्षण संस्थान	3 करोड़ रूपये तक की एकमुश्त सहायता।

(एसआईईएमएटी)	इसे कायम रखने के लिए राज्यों को सहमत होना होगा। संकाय के लिए चयन प्रक्रिया कठोर होगी।
16. अनुसंधान, मूल्यांकन पर्यवेक्षण और अनुश्रव.	प्रत्येक स्कूल के लिए प्रतिवर्ष 1500/– रू0 तक। अनुसंधान और संसाधन संस्थानों के साथ भागीदारी राज्य विशिष्ट बल सहित संसाधन दलों का एकीकरण। संसाधन/अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से तथा एक प्रभावी ईएमआईएस के द्वारा मूल्यांकन और पर्यवेक्षण के निमित क्षमताओं के विकास को प्राथमिकता।
19. ब्लाक संसाधन केन्द्र/ संकुल संसाधन केन्द्र	प्रत्येक सामुदायिक विकास (सीडी) ब्लाक में सामान्यतः एक बीआरसी होगा। तथापि जिन राज्यों में जहां शैक्षिक ब्लाकों अथवा परिमण्डलों जैसे उपजिला शैक्षिक प्रशासनिक तंत्रों का अधिकार क्षेत्र, सीडी ब्लाकों तक सीमित नहीं होता वहां राज्य इस प्रकार की उप–जिला शैक्षिक प्रशासनिक इकाई में एक बीआरसी स्थापित करने पर विचार कर सकता है। तथापि ऐसे मामले में एमसीडी ब्लाक में बीआरसी तथा सीआरसी पर अनावर्ती तथा आवर्ती–दोनों प्रकार का समग्र व्यय प्रत्येक सीडी ब्लाक के लिए एक बीआरसी खोले जाने की स्थिति में बीआरसी और सीआरसी पर जो समग्र व्यय हुआ होता उससे

	अधिक नहीं होगा। बीआरसी/सीआरसी सथासंभव स्कूल परिसर में खोले जाएंगे। जहां कहीं आवश्यक हो, बीआरसी भवन के निर्माण पर 6 🕓 जहां कहीं आवश्यक हो सीआरसी के निर्माण के लिए 2 लाख रूपये इसका प्रयोग स्कूलों में एक अतिरिक्त क्लासरूम के रूप में किया जाए। 🕓 किसी भी जिले में गैर–स्कूली (बीआरसी तथा सीआरसी) निर्माण कार्य की कुल लागत किसी एक वर्ष में कार्यक्रम के अधीन समग्र प्रक्षेपित व्यय के 5ः से अधिक नहीं होगी। 🕓 100 स्कूलों से अधिक वाले ब्लाक में 20 अध्यापकों तक की, छोटे ब्लाकों में बीआरसी और सीआरसी में संयुक्त रूप से 10 अध्यापकों तक की तैनाती। 🕓 एक बीआरसी के लिए एक लाख रूपये के और एक सीआरसी के लिए 10,000/– रू0 के फर्नीचर की व्यवस्था। 🕓 बीआरसी के लिए 12,500 रू0 तथा सीआरसी के लिए 2,500 रू0 प्रतिवर्ष का आकस्मिक अनुदान। 🕓 बैठकें, यात्रा भत्ताः प्रति बीआरसी 500/– रू0 प्रतिमाह, प्रति सीआरसी 200/– रू0 प्रतिमाह। 🕓 टीएलएम अनुदानः प्रति बीआरसी 5000/– रू0 प्रतिवर्ष तथा प्रति सीआरसी 1000/– रू0 प्रति वर्ष। 🕓 प्रारम्भिक चरण के दौरान ही गहन चयन प्रक्रिया के बाद बीआरसी/सीआरसी कार्मिकों की पहचान।
19. स्कूल न जा सकने वाले बच्चों के लिए हस्तक्षेपकारी उपाय	शिक्षा गारण्टी योजना और वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा के अधीन पहले से ही अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार निम्न

	प्रकर के हस्तक्षेपकारी उपायों की व्यवस्थाः असेवित बस्तियों में शिक्षा आश्वासन केन्द्रों की स्थापना। वैकल्पिक स्कूली शिक्षा माडलों की स्थापना। स्कूल न जा सकने वाले बच्चों को नियमित स्कूलों में मुख्यधारा में शामिल करने पर बल देते हुए सेतु पाठ्यक्रम, उपचारी पाठ्यक्रम वापिस स्कूल चलो शिविर।

3. सामुदायिक विकास खण्ड (सी.डी. ब्लाक)

सामुदायिक विकास खण्ड से अभिप्राय "समुदाय परियोजना प्रशासन के अर्न्तगत ब्लाक" से हैं। इस सर्वेक्षण में सी0डी0 ब्लाक (शैक्षिक नहीं) क्षेत्रीय कार्य करने और आँकड़ों के सारणीयन के लिए निम्नतम प्रशासनिक और योजना एकक है। जिन राज्यों में समुदाय विकास ब्लाक का प्रचलन नहीं है, वहाँ इस सर्वेक्षण के लिए जिले का प्रशासनिक उप–प्रभाग जैसे तहसील/तालुक/मण्डल या इसके समकक्ष एकक होगा।

4. शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए विकास खण्ड–

5.

शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए ऐसे 38 विकास खण्डों को ग्रामीण महिला साक्षरता दर एवं लिंग अन्तराल के आधार पर चिन्हित किया गया है। (1991 की जनगणना के आधार पर) जहाँ की साक्षरता दर, लिंग अन्तराल राष्ट्रीय लिंगअन्तराल से अधिक है (संलग्नक–1)

ग्राम

ग्राम से अभिप्राय राजस्व ग्राम से है, जिसकी निश्चित सर्वेक्षित सीमाएं हैं। राजस्व ग्राम में अनेक हेमलेट हो सकते हैं परन्तु आँकड़ों के प्रस्तुतीकरण हेतु सम्पूर्ण ग्राम को एक एकक माना जाएगा। सर्वेक्षण रहित क्षेत्रों जैसे वन क्षेत्र के भीतर बस्तियाँ, प्रत्येक वन क्षेत्र अधिकारी के अन्तर्गत स्थानीय मान्यता प्राप्त सीमाओं वाले प्रत्येक आवासीय क्षेत्र को एक पृथक ग्राम के रूप में माना जाएगा। जनसंख्या रहित ग्राम को "बेचिराग" या "उजाड़" या "निर्जन" के रूप में माना जाएगा।

ग्रामीण बस्ती

(क) बस्ती मकानों का एक ऐसा सुस्पष्ट ;क्पेजपदबजद्ध समूह है जो एक साथ सटे हुए बसे हैं तथा जिसका अपना एक स्थानीय नाम हो, और इसकी जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में 25 से कम न हो तथा पहाड़ी/रेगिस्तानी/छुटपुट बसे हुए क्षेत्रों में 10 से कम न हो। यदि किसी ग्राम में इस प्रकार के मकानों के समूहों की संख्या एक से अधिक है तो उन्हें तब तक पृथक बस्ती नहीं माना जाएंगा जब तक कि उनके बीच की सुविधाजनक तरीके से तय की जाने वाली दूरी 200 मीटर से अधिक न हो।

(ख) यदि मैदानी क्षेत्र में किसी बस्ती की जनसंख्या 25 से कम तथा पहाड़ी/रेगिस्तानी/छुटपुट बसे क्षेत्र की जनसंख्या 10 से कम है, जो ऐसी बस्ती को पृथक स्वतंत्र बस्ती का दर्जा न दिया जाए अपितु ऐसी बस्ती की आबादी को उसी ग्राम की पास वाली बस्ती में शामिल किया जाए। लेकिन यदि किसी ग्राम में केवल एक ही बस्ती है तो उसके लिए यह शर्त लागू नहीं होगी।

(ग) एक ग्राम में एक से अधिक बस्तियाँ हो सकती है जब तक कि वह उजाड़ या बेचिराग न हो।

7. ग्रामीण बस्ती से विद्यालय की दूरी :

बस्ती तथा विद्यालय के बीच की दूरी जो विद्यालय तथा बस्ती के मध्य बिन्दु के बीच सुविधाजनक तरीके से तय की जा सके। दूरी को किलोमीटर में दशमलव के एक स्थान तक दिखाया जाए।

8. मान्यता प्राप्त विद्यालय

मान्यता प्राप्त विद्यालय वह है, जो सरकार (केन्द्रीय/राज्य) अथवा किसी विश्वविद्यालय अथवा कानून द्वारा संस्थापित बोर्ड अथवा केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अभिकरण ;।हमदबलद्ध द्वारा निर्धारित अथवा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम को लागू करता हो और साथ ही जिसकी मानक दक्षता किसी एक या अधिक प्राधिकरण जैसे शिक्षा निदेशालय, नगरपालिका,

समितियाँ, बोर्ड आदि को संतुष्ट करती हो। वह नियमित कक्षाएं संचालित करता हो तथा यदि कोई सार्वजनिक परीक्षा हो तो उसमें विद्याार्थियों को भेजता हो।

9. मान्यता रहित विद्यालय

मान्यता रहित विद्यालय वह है जिसे मान्यता प्राप्त न हो लेकिन वह मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अनुरूप कक्षाएं संचालित कर रहा हो, इसमें कोचिंग केन्द्र सम्मिलित नहीं हैं।

10. वैकल्पिक विद्यालय

शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक और नवाचारी शिक्षा (ई0जी0ए0एस0/ए0आई0ई0) के घटक शिक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत विद्यालय रहित बस्तियों में (जिनमें एक कि0मी0 तक विद्यालयी सुविधा उपलब्ध नहीं है) विद्यालयी शिक्षा से वंचित बच्चों को शिखा देनले के उद्देश्य से गठित विद्यालयों को वैकल्पिक विद्यालय नाम दिया गया है। शिक्षा गारण्टी योजना के अनतर्गत मध्यप्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के राज्यों में ई0जी0एस0 विद्यालय, आन्ध्रप्रदेश में मावाडी, केरल में बहु श्रेणी अधिगम केन्द्रय पश्चिम बंगालमें शिशु शिक्षा कर्मसूची केन्द्रय महाराष्ट्र में अनुबंधित विद्यालय य राजस्थान में राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं, वैकल्पिक विद्यालयों के कुछ उदाहरण हैं।

11. वैकल्पिक और नवाचारी शिक्षा केन्द्र

अति विशिष्ट कठिन समूह के विद्यालयी शिक्षा से वंचित बच्चों को मुख्य धारा में सम्मिलित करने के उद्देश्य से स्थापित किये गये केन्द्रों को वैकल्पिक और नवाचारी शिक्षा केन्द्र कहा गया है। विस्थापित बच्चों के लिए सीजनल छात्रावास , संक्षिप्त/सेतु पाठ्यक्रम ;ठतपकहम ब्वनतेमद्ध विद्यालयी शिक्षा से वंचित बच्चों को मुख्य धारा में सम्मिलित करने और अल्पवधि में उन्हें उनकी आयु के अनुसार उचित सक्षमता प्राप्त करने हेतु विद्यालय वापसी शिविर, फुटपाथ और झुग्गी–झोपड़ी के बच्चों के लिए आवासीय शिविर/कतवच.पद ब्मदजतमए वैकल्पिक और नवाचारी केन्द्रों के कुछ उदाहरण हैं।

12. विद्यालयी श्रेणी

विद्यालय श्रेणी को विद्यालय में उच्चतम कक्षा के आधार पर राज्य के पैटर्न के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी राज्य में जहाँ पर कक्षा **I-V, VI-VIII, IX-X** तथा **XI-XII** क्रमशः प्राथमिकए उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर कहलाते हैं, विद्यालय की श्रेणी का निर्णय निम्न प्रकार होगा। जिस विद्यालय में **V** तक शिक्षण हो वह प्राथमिक विद्यालय कहलायेगा।

• जिस विद्यालय में कक्षा **VI, VII** अथवा **VIII** तक शिक्षण हो वह उच्च प्राथमिक विद्यालय कहलायेगा। • जिस विद्यालय में **IX** अथवा **X** तक शिक्षण हो वह माध्यमिक विद्यालय कहलायेगा।

• जिस विद्यालय में कक्षा **XI** अथवा **XII** तक शिक्षण कार्य हो वह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कहलायेगा।

12.विद्यालय का प्रबन्धन

कोई भी विद्यालय जिस प्राधिकरण द्वारा संचालित होता है, वह उसका प्रबन्धन प्रकार दर्शाता है। इस सर्वेक्षण में निम्नवत् प्रबन्धन के विद्यालय मान्य होंगे :–

सरकारी :

एक सरकारी विद्यालय वह है जो राज्य सरकारी या केन्द्रीय सरकार या सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम या स्वायत्त संगठन द्वारा संचालित किया जाता है तथा पूर्णतया सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

स्थानीय निकाय :

एक स्थानीय निकाय विद्यालय वह है जो पंचायती राज तथा स्थानीय निकाय जैसे कि जिला परिषद् नगर निगम, नगर समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति तथा छावनी बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है।

गैर सरकारी सहायता प्राप्त :

एक गैर सरकाी सहायता प्राप्त विद्यालय वह है जो एक व्यक्ति या किसी निजी संगठन द्वारा संचालित किया जाता है तथा सरकार या स्थानीय निकाय से अनुदान प्राप्त करता है।

गैर सरकारी बिना सहायता प्राप्त :

एक गैर सरकारी बिना सहायता प्राप्त विद्यालय वह है जो कि एक व्यक्ति या किसी निजी संगठन द्वारा संचालित किया जाता है तथा सरकार या स्थानीय निकाय से कोई अनुदान प्राप्त नहीं करता है।

15. विद्यालय के प्रकार

बालकों के विद्यालय : ऐसे समस्त विद्यालय जिनमें बालको को सभी कक्षाओं में प्रवेश दिया जाता है लेकिन बालिकाओं का प्रवेश कुछ विशिष्ट कक्षाओं तक सीमित होता है, बालकों के विद्यालय कहलाते हैं।

16. मातृ भाषा

मातृ भाषा वह भाषा है जो कि माता द्वारा बाल्यावस्था में बच्चे के साथ बोली जाती है। यदि बालिकाओं के विद्यालय : ऐसे समस्त विद्यालय जिनमें बालिकाओं को सभी कक्षाओं में प्रवेश दिया जाता है लेकिन बालकों का प्रवेश कुछ विशिष्ट कक्षाओं तक सीमित होता है, बालिकाओं के विद्यालय कहलाते हैं। सहशिक्षा विद्यालय : ऐसे समस्त विद्यालय जिनमें बालकों तथा बालिकाओं को सभी कक्षाओं में प्रवेश दिया जाता है, सहशिक्षा विद्यालय कहलाते हैं। बाल्यावस्था में बच्चे की माता का देहान्त हो जाता है तो बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा मातृ भाषा कहलायेगी।

17. **शिक्षण का माध्यम**

शिक्षण का माध्यम वह भाषा है जिसके द्वारा भाषा के अतिरिक्त अन्य विषय पढ़ाये जाते हैं। 18. पैरा शिक्षक पैरा शिक्षक वे पूर्णकालिक शिक्षक हैं जो एक निश्चित धनराशि पर पूरे समय कार्य करते हैं तथा जिनका चयन पैरा शिक्षक योजना के अन्तर्गत किया जाता है।

18. **विकलांगता**

विकलांगता को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है 'कार्यकलापों को उचित रूप से निष्पादित करने अथवा साधारण मनुष्य के निर्धारित स्तर के बराबर क्षमता में कोई कमी या अवरोध। जिन व्यक्तियों में दृष्टि, संप्रेषण (श्रवण और/या वाक) और अस्थि संबंधी गति विषयक (लोकोमोटर) विकलांगताएँ होती हैं उन्हें शारीरिक रूप से विकलांग माना जाएगा।

दृष्टि बाधित :

व्यक्ति जिसकी दृष्टि नहीं है या जिनकी दृष्टि है परन्तु वे दोनो आँखों से ऐनक के साथ भी दिन के सही प्रकाश में 3 मीटर की दूरी से हाथ की अंगुलियों को नहीं गिन सकते हैं।

श्रवण विकृति :

एक व्यक्ति जो बिल्कुल भी नहीं सुन सकता या केवल ऊँची आवाज से सुन सकता है या केवल चिल्लाए गए शब्दों को सुन सकता या तब सुन सकता जबकि बोलने वाला (वक्ता) उसके सामने बैठा है अथवा आमतौर से बोले गए शब्दों को दोहराने के लिए कहता है अथवा वक्ता का चेहरा देखना चाहता है। अस्थि संबंधी/गति–विषयक (लोकोमीटर)

विकलांगता :

एक व्यक्ति में स्वयं और/अथवा सामान्य को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हिलाने की सामान्य क्षमता का न होना अथवा कमी होना।

बौद्धिक विकृति (मानसिक मंदता) :

व्यक्ति के मतिष्क की अवरूद्ध स्थिति अथवा अपूर्ण विकास को विशेष रूप से असामान्य बुद्धि बताया गया है।

बहुविकृति :

एक से अधिक विकलांगता वाले बच्चों को बहुविकृति वर्ग के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाएगा।

Abbreviations

ABSA	Assistant Basic Shiksha Adhikari
ADEO (B)	Additional District Education Officer (Basic)
AIE	Alternative & Innovative Education
AS	Alternative Schooling
AWPB	Annual work plan & Budget
BRC	Block Resource Centre
BRG	Block Resource Group
BSA	Basic Shiksha Adhikari
CRC	Cluster Resource Center
DEO	District Education Officer
DEPC	District Education Project Committee
DDO	District Development Officer
DIET	District Institute of Education & Training
DPEP	District Primary Education Programme
DPO	District Project Office
DRG	District Resource Group
EC	Executive Committee
ECCE	Early Childhood care & Education
EFA	Education For All
EGS	Education Guarantee Scheme
EMIS	Educational Management Information System
GOI	Government of India
ICDS	Integrated Child Development Scheme
IDA	International Development Agency
KGBV	Kasturba Gandhi Balika Vidhyalaya
MC	Model Cluster
MDM	Mid Day Meal
MHRD	Ministry of Human Resource Development
MTA	Mother Teacher Association
NCERT	National Council of Educational Research & Training
NGO	Non- Government Organization
NPEGEL	National Programme of Education for Girls at Elementary Level
NPRC	Nayay Panchayat Resource Centre
PS	Primary School
PTA	Parent Teacher Assocation
PLP	Post Literacy Programme
SCERT	State Council Of Educational Research and Training
SIEMAT	State Institute of Educational Management and Training
SLMA	State Literacy Mission Authority
SPD	State Project Director
SPO	State Project office

SRC	State Resource Center
SRG	State Resource Group
SSA	Sarva Shiksha Abhiyan
TLM	Teaching Learning Material
UNICEF	United Nations Childern's Fund
VEC	Village Education Committee
WMG	Women Motivator Group
SRG	State Resource Group
UPS	Upper Primary School

प्रेषक,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड

सेवा में,

1. अपर निदेशक,
एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तराखण्ड, नरेन्द्रनगर
2. सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद,
रामनगर नैनीताल
3. अपर निदेशक
कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल
4. जिला शिक्षा अधिकारी उत्राखण्ड
5. उप निदेशक लेखा सीापना
विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।

पत्रांक सेवा–3/52834–53012/3(3)स्आफिंग पैटर्न/02/2010–11 दिनांक 21 अगस्त 2010

विषयः– मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के ढांचे में स्वीकृत पदों के स्आफिंग पैटर्न के अनुसार पुनर्गठन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या 605/xxiv–2–2010–06(1)2008 दिनांक 06 जुलाई 2010 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कार्मिक अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 183/xxx–2/2010 दिनांक 11 फरवरी 2010 के अनुक्रम में विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभिन्न इकाइयों में लिपिक वर्गीय संवर्ग के पूर्व सृजित 3893 पदों को स्आफिंग पैटर्न के अनुसार पुनर्गठित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 06 जुलाई 2010 के अनुपालन में निदेशालय के पत्रांक सेवा–3/11610–11762/3(3) पुनर्गठन/2009–10 दिनांक 04 जून 2010 द्वारा किए मात्राकरण को अतिक्रमित करते हुए विद्यालयी शिक्षा विभाग के मिनिस्ट्री संवर्ग के ढांचे में पूर्व से स्वीकृत पदों के इकाईवार मात्राकरण की निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है–

1– प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा विभाग के राज्य स्तर से ले कर विद्यालय स्तर तक संस्थानवार एवं कार्यालयवार स्वीकृत पदों का मात्राकरण का विवरण परिशिष्ट एक पर संलग्न है। इस संबंध में सूच्य है कि शासनादेश संख्या 443/xxvii(7)/2010 दिनांक 09 फरवरी 2010 द्वारा प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी–1 (वेतनमान 5500–9000) तथा प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी–2 (वेतनमान 5000–8000) को आमेलित करते हुए पदनाम प्रशासनिक अधिकारी (पुनरीक्षित वेतनमान 9300–34800 ग्रेड पे 4200) कर दिया गया है। अतः तदनुसार इन दोनों पदों के स्थान पर प्रशासनिक अधिकारी पद पर ही पदों का मात्राकरण किया गया है'–

2– परिशिष्ट एक के क्रमांक 19 एवं 20 पर अंकित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों एवं जिला संसाधन केन्दों के पदों का संस्थानवार मात्राकरण परिशिष्ट–1(क) पर, क्रमांक 21 पर अंकित खण्ड शिक्षा कार्यालयों के पदों का कार्यालयवार मात्राकरण परिशिष्ट–1(ख) पर तथा क्रमांक 22 एवं 23 पर अंकित रा0इ0का0 एवं रा0उ0मा0वि0 क पदों का विद्यालयवार मात्राकरण परिशिष्ट 1(ग) पर संलग्न है।

जिन विद्यालयों में मुख्य सहायक का पद प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उच्चीकृत हो गया है, वहां पर प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति/स्थानान्तरण /समायोजन होने तक वर्तमान में कार्यरत मुख्य सहायक ही कार्य करते रहेंगे।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही संपन्न करें। इस संबंध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि कार्यालयों में युक्तिसंगत कार्य विभाजन करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को परिवेक्षणीय कार्य के अतिरिक्त पटलों का कार्य भी आबंटित किया जाए।

संलग्नः यथोपरि।

भवदीय

पुष्पा मानस
निदेशक
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड

पृ0सं0 सेवा–3/ /3(3) स्टाफ स्टेट/2009–10 दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपिः– निम्नांकिता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री उत्तराखण्ड।
4– प्राचार्य, डायट/डी0आर0सी0, उत्तराखण्ड।
5 – समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।

उत्तरखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7
सं0 448/xxvii(7)/2010
देहरादून दिनांक 09 फरवरी 2010

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– विभागाध्यक्ष एवं अधीनस्थ कार्यालयों में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन एवं वेतनमान संशोधन।

उपर्युक्त विषय के संबंध में अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति 2008 के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों के क्रम में वेतन विसंगति समिति के प्रथम प्रतिवेदन में प्रदेश के मिनिस्टीरियल संवर्ग के संगठनात्क ढांचे में परिवर्तन एवं वेतनमान संशोधन के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मिनिस्टीरियल संवर्ग के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी–2 (वेतनमान 5000–8000) एवं प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी–1 (वेतनमान 5500–9000) जिनकी दि0 1–1–06 से पुररीक्षित वेतनमानों में वेतन बैण्ड 2 में समान ग्रेड पे रू0 4200 हो गयी है का आमेलन करते हुए आमेलित पद का पदनाम प्र0अ0 तथा पुनरीक्षित वेतनमान में वेतनबैण्ड–2 रू0 9300 से 34800 में ग्रेड पे 4200 यथावत रहेगी।

2– वरिष्ठ प्र0अ0 का पद प्रोन्नति का पद है। वरिष्ठ प्र0अ0(वेतनमान 6500–10500) की पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन बैण्ड–2 में ग्रेड पे प्र0अ0 श्रेणी–2 तथा प्र0अ0 श्रेणी–1 के समान रू04200 हो गयी है। अतः प्र0अ0 के पद वेतनमान रू0 6500–10500 को दि0 1–1–2006 7450–11500 में उच्चीकृत करते हुए पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन बैण्ड –2 9300–34800 में ग्रेड पे 4200 के स्थान पर 4600 किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– उपरोक्तनुसार मिनिस्टीरियल संवर्ग के संगठनात्मक ढांचे पर लिये गये निर्णय के अनुरूप संगत सेवा नियमावली में पदनाम एवं वेतनमान परिवर्तन आदि के संबंध में भी आवश्यक संशोधन यथाशीघ्र सुनिश्चित किया जाएगा।

आलोक कुमार जैन
प्रमुख सचिव

संख्या 443(1)/xxvii(7)/2010 तददिनांक।
प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
3– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयध्यक्ष उत्तराखण्ड
4– महानिबन्धक, उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
5– सचिव श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
6– समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।

संख्या 605 / xxiv–2–2010–06(1) / 2008

प्रेषक,

मनीषा पंवार
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादूनः दि0 06 जुलाई 2010

विषयः– मिनिस्टीरियल संवर्ग के ढांचे में स्वीकृत पदों के स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पुनर्गठन के संबंध में।

महोदया,

उर्पयुक्त विषयक आपके पत्रांक सेवा–3 / 93479 / 3(3) मात्राकरण / 2009–10 दि0 17 मार्च 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक अनुभाग 2 के कार्यालय ज्ञाप–183 / xx–2–2010 दि0 11 फरवरी 2010 के अनुक्रम में शिक्षा विभाग के शासनादेश सं0 501 / xxiv–2–2010–06(1) / 2008 दि0 3 अगस्त 2009 एवं शासनादेश सं0 992 xxiv–2–2010–06(1) / 2008 दि0 9 दिसम्बर 2009 द्वारा मिनिस्टीरियल संवर्गीय में पूर्व सृजित पदों को निम्नानुसार स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र0 सं0	पदनाम	वर्तमान ढांचा				प्रस्तावित ढांचा	
		प्रतिशत	ढांचे में स्वीकृत पद	ढांचे का पूर्व प्रस्ताव तैयार करने के बाद नवीन विद्यालयों में स्वीकृत पद	योग	प्रतिशत	प्रस्तावित पद
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वरिष्ठ प्र0अ0	10	2	0	2	20	28
	प्र0अ0 ग्रेड–1		96	0	96		750
	प्र0अ0 ग्रेड–2		290	0	290		
	मुख्य सहायक	25	972	0	972	18	701
	प्रवर सहायक	30	1665	3	1168	30	1168
	कनिष्ठ सहायक	35	1360	5	1365	32	1246
सम्पूर्ण योग		100	3885	8	3893	100	3893

2. यह आदेश वित्त एवं कार्मिक विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(मनीषा पंवार)
सचिव

शासनादेश सं0 605/xxiv–2–2010–06(1)/2008 दिनांक 6 जुलाई 2010 द्वारा विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड में मिनिस्टीरियल संवर्ग के ढांचे में स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार स्वीकृत पदों का कार्यालय/संस्थावार पदों का मात्राकरण

ब्रं0सं0	मण्डल/जनपदीय कार्यालय का नाम	वरिश्ठ प्र0अ0		प्र0अ0–1		प्र0अ0–		मुख्य सहा0		प्र0सहा0		क0सहा0		योग		अभ्युक्ति
		वर्तमान	मत्राकृत	वर्तमान	मत्राकृत	वर्तमान	मत्राकृत	वर्तमान	मत्राकृत	वर्तमान	मत्राकृत	वर्तमान	मत्राकृत	वर्तमान	मत्राकृत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	विद्यालयी शिक्षा निदेशालय	1	1	11	0	11	15	18	18	14	22	21	20	36	76	
2	उ0वि0शि0प0 रामनगर	1	1	11	0	11	15	18	22	13	16	18	18	72	72	
3	एस0सी0ई0आर0टी0	0	1	3	0	3	5	6	8	5	4	3	2	20	20	
4	अपर निदेशक पौड़ी	0	1	3	0	3	5	8	9	6	5	5	5	25	25	
5	अपर निदेशक नैनीताल	0	1	3	0	3	5	8	9	6	5	5	5	25	25	
6	जिला शिक्षा अधिकारी चमोली	0	1	1	0	3	4	4	3	4	4	2	2	14	14	
7	जिला शिक्षा अधिकारी रूद्रप्रयाग	0	1	1	0	3	3	3	3	2	2	2	2	11	11	
8	जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी	0	1	1	0	3	4	5	5	4	3	2	2	15	15	
9	जिला शिक्षा अधिकारी टिहरी	0	1	1	0	3	4	5	5	4	3	2	2	15	15	
10	जिला शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी	0	1	1	0	3	4	3	3	4	4	2	2	14	14	
11	जिला शिक्षा अधिकारी देहरादून	0	1	1	0	3	4	5	5	4	3	2	2	15	15	
12	जिला शिक्षा अधिकारी हरद्वार	0	1	1	0	3	3	3	3	3	3	2	2	12	12	
13	जिला शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा	0	1	1	0	3	4	3	3	4	4	2	2	14	14	
14	जिला शिक्षा अधिकारी बागेश्वर	0	1	1	0	3	3	3	3	2	2	2	2	11	11	
15	जिला शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ	0	1	1	0	3	4	3	3	4	4	2	2	14	14	
16	जिला शिक्षा अधिकारी चम्पावत	0	1	1	0	3	3	3	3	2	2	2	2	11	11	
17	जिला शिक्षा अधिकारी नैनीताल	0	1	1	0	3	4	5	5	4	3	2	2	15	15	
18	जिला शिक्षा अधिकारी उ0सिंह नगर	0	1	1	0	3	4	3	3	3	2	2	2	12	12	
योग		2	18	44	0	70	93	113	113	88	91	78	76	391	391	

क्र0 सं0	मण्डल / जनपदीय कार्यालय का नाम	व0प्र0अ0		प्र0अ0–1		प्र0अ0		मु0सहा0		प्र0सहा0		कनिष्ठ सहा0		योग		अभ्युक्ति
		वर्तमान	मात्राकृत	वर्तमान	मात्राकृत	वर्तमान	मात्राकृत	वर्तमान	मात्राकृत	वर्तमान	मात्राकृत	वर्तमान	मात्राकृत	वर्तमान	मात्राकृत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
पिछले पृष्ठ का योग		2	18	44	0	70	93	109	113	88	91	78	76	391	391	
19	डायट(कुल सं0 10)	0	10	10	0	10	20	30	20	30	20	20	30	100	100	
20	डायट (कुल सं0 3)	0	0	3	0	0	3	3	3	0	0	3	3	9	9	
21	ख0शि0का0 (कुल सं0 95)	0	0	39	0	151	190	95	108	0	95	190	190	475	583	
22	रा0इ0का0(बालक / बालिका)कुल सं0 967	0	0	0	0	59	444	735	457	253	165	1069	942	2116	2008	
	रा0उ0मा0वि0 बालक / बालिका(कुल सं0 797)	0	0	0	0	0	0	0	0	797	797	5	5	802	802	
योग		2	28	96	0	290	750	972	701	1168	1168	1365	1246	3893	3893	

निदेशक
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड

शासनादेश सं0 605/xxiv–2–2010–06(1)/2008 दिनांक 6 जुलाई 2010 द्वारा डायट एवं जिला संसाधन केन्दों में स्वीकृत पदों का मात्राकरण

(अ) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट)											
क्र0 सं0	संस्था का नाम	मात्राकृत पदों की विभागवार सं0									
		व0प्र0 अ0	प्रशा0अधि0		मु0स0		प्र0स0		क0स0		योग
			डी0आर0यू0	प्र0अनु0	आई0एफ0आई0सी0	प्रशा0 अनु0	डी0आर0यू0	प्रशा0 अनु0	प्रशा0 अनु0	पुस्तकालय	
1	गौचर, चमोली	1	1	1	1	1	1	1	2	1	10
2	चड़ीगांव, पौड़ी	1	1	1	1	1	1	1	2	1	10
3	नई टिहरी	1	1	1	1	1	1	1	2	1	10
4	बड़कोट	1	1	1	1	1	1	1	2	1	10
5	मयूर विहार	1	1	1	1	1	1	1	2	1	10
6	रूड़की	1	1	1	1	1	1	1	2	1	10
7	अल्मोड़ा	1	1	1	1	1	1	1	2	1	10
8	डीडीहाट	1	1	1	1	1	1	1	2	1	10
9	भीमताल	1	1	1	1	1	1	1	2	1	10
10	रूद्रपुर	1	1	1	1	1	1	1	2	1	10
योग		10	10	10	10	10	10	10	20	10	100

ब) जिला संसाधन केन्द्र (डी0आर0सी0)

क्र0 सं0	संस्थान का नाम	मात्राकृत पदों की संख्या					योग
		व0प्र0अ0	प्रशा0अधि0	मु0स0	प्र0स0	क0स0	
1	रतूड़ा, रूद्रप्रयाग	0	1	1	0	1	3
2	बागेश्वर	0	1	1	0	1	3
3	चम्पावत	0	1	1	0	1	3
योग		0	3	3	0	3	9
कुल योग		10	23	23	20	23	109

निदेशक
विद्यालयीशिक्षा

शासनादेश सं0 605/xxiv–2–2010–06(1)/2008 दिनांक 6 जुलाई 2010 द्वारा ख0शि0अ0 कार्यालयों में स्वीकृत पदों का मात्राकरण

क्र0 सं0	जनपद	विकासखण्ड	क्या आहरण वितरण का कार्य भी होता है	मात्राकृत पदों की सं0					योग	अभ्युक्ति
				व0प्र0 अ0	प्रशा0अधि0	मु0स0	प्र0स0	क0स0		
1	चमोली	जोशीमठ	नहीं	0	2	1	1	2	6	
2		दशोली	नहीं	0	2	1	1	2	6	
3		घाट	नहीं	0	2	1	1	2	6	
4		कर्णप्रयाग	नहीं	0	2	2	1	2	7	
5		पोखरी	नहीं	0	2	1	1	2	6	
6		गैरसैण	नहीं	0	2	1	1	2	6	
7		नारायणबगड़	नहीं	0	2	1	1	2	6	
8		थराली	नहीं	0	2	2	1	2	7	
9		देवाल	नहीं	0	2	1	1	2	6	
10	रूद्रप्रयाग	उखीमठ	नहीं	0	2	1	1	2	6	
11		अगस्त्यमुनि	नहीं	0	2	1	1	2	6	
12		जखोली	नहीं	0	2	1	1	2	6	
13	पौड़ी	कोट	नहीं	0	2	1	1	2	6	
14		कल्जीखाल	नहीं	0	2	1	1	2	6	
15		पौड़ी	नहीं	0	2	1	1	2	6	
16		पाबौ	नहीं	0	2	1	1	2	6	
17		थलीसैण	नहीं	0	2	1	1	2	6	
18		जहरीखाल	नहीं	0	2	2	1	2	7	
19		वीरोंखाल	नहीं	0	2	1	1	2	6	
20		दुगड्डा	नहीं	0	2	2	1	2	7	
21		रिखणीखाल	नहीं	0	2	1	1	2	6	
22		पोखड़ा	नहीं	0	2	1	1	2	6	
23		द्वारीखाल	नहीं	0	2	1	1	2	6	
24		यमकेश्वर	नहीं	0	2	1	1	2	6	
25		नैनीडांडा	नहीं	0	2	2	1	2	7	
26		खिर्सू	नहीं	0	2	1	1	2	6	
27		एकेश्वर	नहीं	0	2	1	1	2	6	
28	टिहरी	प्रतापनगर	नहीं	0	2	1	1	2	6	
29		जाखणीधार	नहीं	0	2	1	1	2	6	
30		थौलधार	नहीं	0	2	1	1	2	6	
31		चम्बा	नहीं	0	2	2	1	2	7	
32		जौनपुर	नहीं	0	2	1	1	2	6	
33		नरेन्द्रनगर	नहीं	0	2	1	1	2	6	
34		देवप्रयाग	नहीं	0	2	1	1	2	6	
35		कीर्तिनगर	नहीं	0	2	1	1	2	6	
36		भिलंगना	नहीं	0	2	1	1	2	6	
37	उत्तरकाशी	मोरी	नहीं	0	2	1	1	2	6	
38		पुरोला	नहीं	0	2	2	1	2	7	

39		नौगांव	नहीं	0	2	1	1	2	6	
40		डुंडा	नहीं	0	2	1	1	2	6	
41		चिन्यालीसौड़	नहीं	0	2	1	1	2	6	
42		भटवाड़ी	नहीं	0	2	1	1	2	6	
43	देहरादून	च्करााता	नहीं	0	2	2	1	2	7	
44		कालसी	नहीं	0	2	1	1	2	6	
45		विकासनगर	नहीं	0	2	1	1	2	6	
46		सहसपुर	नहीं	0	2	1	1	2	6	
47		रायपुर	नहीं	0	2	1	1	2	6	
48		डोईवाला	नहीं	0	2	1	1	2	6	
49	हरिद्वार	भगवानपुर	नहीं	0	2	1	1	2	6	
50		रूड़की	नहीं	0	2	1	1	2	6	
51		नरसन	नहीं	0	2	1	1	2	6	
52		ब्हादराबाद	नहीं	0	2	1	1	2	6	
53		लक्सर	नहीं	0	2	1	1	2	6	
54		खानपुर	नहीं	0	2	1	1	2	6	
55	अल्मोड़ा	स्याल्दे	नहीं	0	2	1	1	2	6	
56		चौखुटिया	नहीं	0	2	1	1	2	6	
57		भिक्यासैण	नहीं	0	2	2	1	2	7	
58		ताडीखेत	नहीं	0	2	2	1	2	7	
59		सल्ट	नहीं	0	2	1	1	2	6	
60		द्वारहाट	नहीं	0	2	1	1	2	6	
61		तकुला	नहीं	0	2	1	1	2	6	
62		भैंसियाछाना	नहीं	0	2	1	1	2	6	
63		ळवालबाग	नहीं	0	2	1	1	2	6	
64		लमगड़ा	नहीं	0	2	1	1	2	6	
65		घौलादेवी	नहीं	0	2	1	1	2	6	
66	बागेश्वर	कपकोट	नहीं	0	2	1	1	2	6	
67		बागेश्वर	नहीं	0	2	1	1	2	6	
68		गरूड़	नहीं	0	2	1	1	2	6	
69	पिथौरागड़	मुनस्यारी	नहीं	0	2	1	1	2	6	
70		धारचूला	नहीं	0	2	1	1	2	6	
71		ब्रेीनाग	नहीं	0	2	2	1	2	7	
72		डीडीहाट	नहीं	0	2	2	1	2	7	
73		कनालीछीना	नहीं	0	2	1	1	2	6	
74		गंगोलीहाट	नहीं	0	2	1	1	2	6	
75		विण	नहीं	0	2	1	1	2	6	
76		मूनाकोट	नहीं	0	2	1	1	2	6	
77	चंपावत	पाटी	नहीं	0	2	1	1	2	6	
78		बाराकोट	नहीं	0	2	1	1	2	6	
79		लोहाघाट	नहीं	0	2	1	1	2	6	
80		च्पावत	नहीं	0	2	1	1	2	6	
81	नैनीताल	कोटाबाग	नहीं	0	2	1	1	2	6	
82		रामगढ़	नहीं	0	2	1	1	2	6	
83		भीमताल	नहीं	0	2	1	1	2	6	
84		बेतालघाट	नहीं	0	2	1	1	2	6	

85		धारी	नहीं	0	2	1	1	2	6	
86		ओखलखंडा	नहीं	0	2	1	1	2	6	
87		रामनगर	नहीं	0	2	1	1	2	6	
88		हल्द्वानी	नहीं	0	2	2	1	2	7	
89	उधमसिंह नगर	जसपुर	नहीं	0	2	1	1	2	6	
90		काशीपुर	नहीं	0	2	1	1	2	6	
91		बजपुर	नहीं	0	2	1	1	2	6	
92		गदरपुर	नहीं	0	2	1	1	2	6	
93		रूद्रपुर	नहीं	0	2	1	1	2	6	
94		सितारगंज	नहीं	0	2	1	1	2	6	
95		खटीमा	नहीं	0	2	1	1	2	6	
योग				0	190	108	95	190	583	